अक्टूबर-2025 | वर्ष : 09 | अंक : 07 | मूल्य : ₹25/- मात्र

युगांतर प्रकृति

भारत के पूर्वी राज्यों का एकमात्र पर्यावरण मासिक

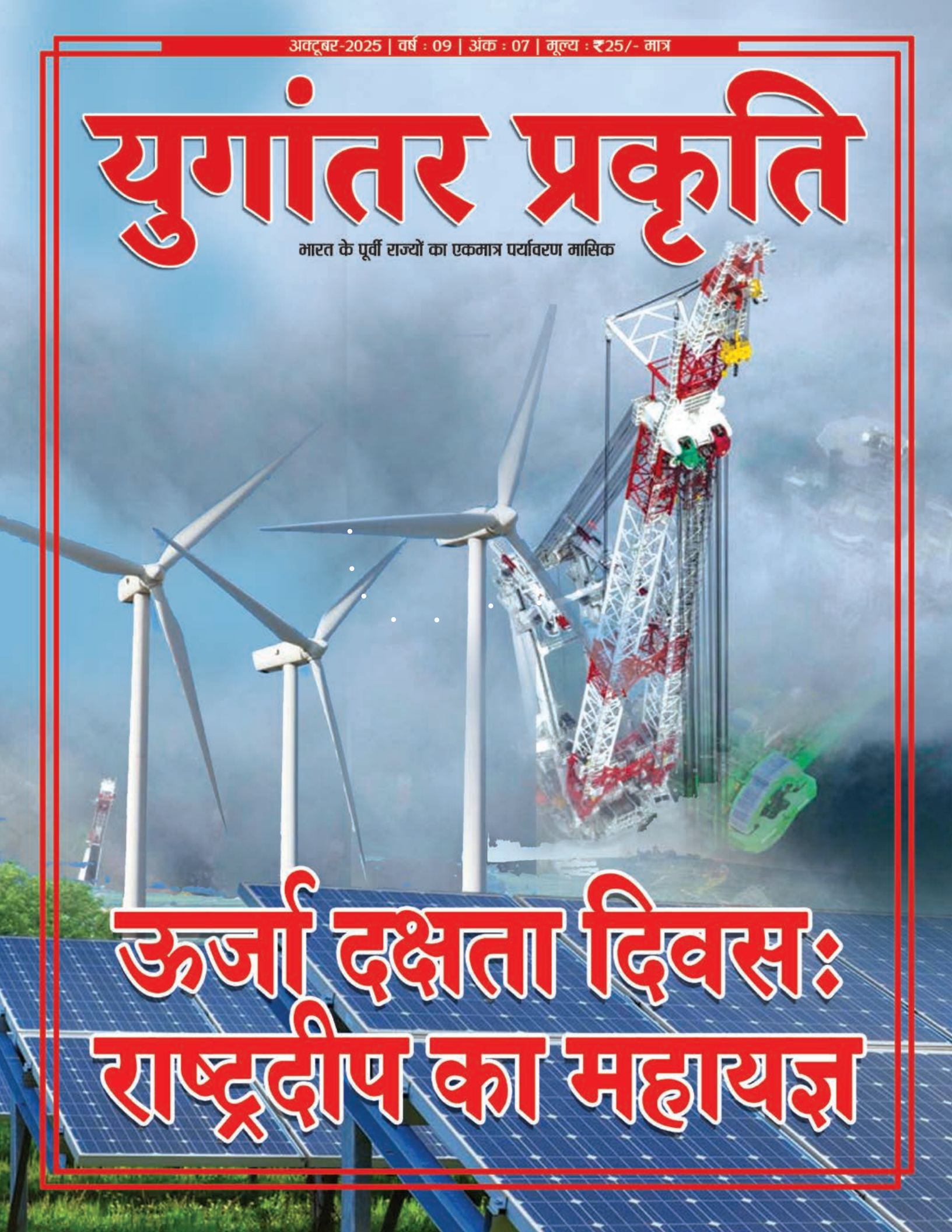

ऊर्जा दक्षता दिवस: राष्ट्रदीप का महायज्ञ

युगांतर प्रकृति

प्रकृति एवं पर्यावरण को समर्पित मासिक पत्रिका

प्रकृति, पर्यावरण, सामाजिक उत्थान, क्षमता संवर्धन शोध एवं विकास तथा राष्ट्रीय गौरव के लिए समर्पित संस्था

सदस्यता शुल्क

1	वार्षिक	250/-
2	पंचवर्षीय	1,200/-
3	दस वर्षीय	2400/-
4	आजीवन	5,000/-

विज्ञापन दर

1	बैक पेज	1,00,000/-
2	इनसाइड कवर पेज	90,000/-
3	फुल पेज	75,000/-
4	हाफ पेज	50,000/-

भुगतान संबंधित निर्देश

भुगतान कृपया चेक/डीडी/आरटीजीएस द्वारा Nature Foundation के नाम से करें

Account Details

NATURE FOUNDATION

Account No. : 3611740792
Kotak Mahindra Bank
IFSC Code : KKBK0005631

विज्ञापन संबंधित निर्देश

कृपया अपना विज्ञापन पीडीएफ अथवा जेपीजी फॉर्मेट में yugantarprakriti@gmail.com ईमेल या डाक द्वारा युगांतर प्रकृति, सेंट्रल स्कूल के समीप, सिद्रोल, नामकुम, रांची-834010 के पते पर भेजें।

विशेष सहयोग

'युगांतर प्रकृति' का प्रकाशन नेचर फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, जो प्रकृति एवं पर्यावरण को समर्पित एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। पत्रिका के सुगम प्रकाशन हेतु Nature Foundation के नाम चेक अथवा डीडी के माध्यम से यथासंभव आर्थिक सहयोग आमंत्रित है।

इस अंक में खास...

10 ऊर्जा दक्षता दिवस : राष्ट्रदीप का महायज्ञ

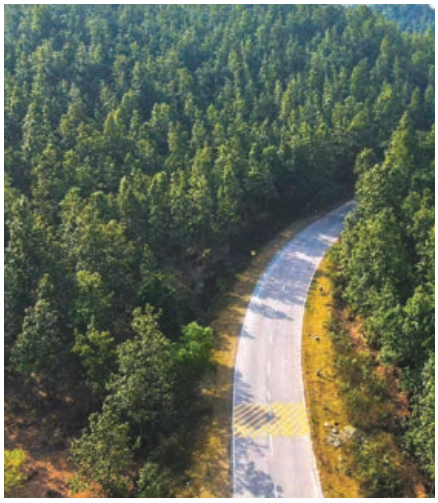

20

दिवस विशेष

लुप्तप्राय वन्य जीवों को सहारा मिला

24

पर्यावरण और पर्व-त्यौहार

हरे पटाखे और दीपावली का प्रदूषण

हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण दीपावली के समय पटाखे या आतिशबाजी जलाने से होता है। इसके अलावा, पटाखे जलाने के दौरान जहरीले रसायन छोड़ते हैं इससे निश्चित रूप से लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है।

03

विशेष रिपोर्ट

सारंडा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा वन को अभयारण्य घोषित करने में देरी पर कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।

14

गहराता संकट

ई-कचरे का बढ़ना खतरनाक

अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई-कचरा उन सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके हिस्सों से आता है, जिन्हें बिना उपयोग के कचरे में फेंक दिया जाता है।

18

पर्यावरण

ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है अफ्रीका

30

कला जगत

विदेशी हमारे यहां संगीत को मेडिटेशन मान रहे हैं, सीख रहे हैं और हम हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं

युगांतर प्रकृति

भारत के पूर्वी राज्यों का एकमात्र पर्यावरण मासिक

वर्ष-9, अंक-07, अक्टूबर-2025, कुल पृष्ठ-36 (आवरण सहित)

मुख्य संरक्षक
सरयू राय

प्रधान संपादक
आनंद सिंह

संपादक
अंशुल शरण

संरक्षक मंडल
राजेन्द्र सिंह, एम.सी. मेहता, प्रो. आर. के. सिन्हा, प्रो. एस. इ. हसनैन, डॉ. आर. एन. शरण, डॉ. आर. के. सिंह

सलाहकार मंडल
डॉ. एम. के. जमुआर, डॉ. दिनेश कुमार मिश्र, डॉ. के. के. शर्मा, डॉ. गोपाल शर्मा, डॉ. ज्योति प्रकाश

डिजाइन आर्टिस्ट
अनवारूल हक

विधि परामर्शी
रवि शंकर (अधिवक्ता)

प्रबंधन
राजेश कुमार सिन्हा

संपादकीय कार्यालय
संपादकीय, सदस्यता एवं विज्ञापन
नेचर फाउंडेशन, सेंट्रल स्कूल के समीप
पो. नामकूम, सिदरौल, रांची, झारखंड, पिन-834010

कोलकाता कार्यालय
ग्राउंड फ्लोर, 131/24, रीजेंट पार्क गवर्नमेंट क्वार्टर, कोलकाता, पिन-700040

पटना कार्यालय
201, दीपराज कॉम्प्लेक्स, आर्य कुमार रोड, दिनकर गोलंबर, पटना 834004

स्वामी, मुद्रक और प्रकाशक **मधु** द्वारा झारखंड प्रिंटर्स प्रा. लि., 6A, गुरुनानक नगर, साकची, **जमशेदपुर** से मुद्रित व नेचर फाउंडेशन, सेंट्रल स्कूल के समीप पो. नामकूम, सिदरौल, **रांची**, झारखंड से प्रकाशित।
आरएनआई नंबर: JHAHIN/2016/68667
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नंबर: RN/248/2016-18

ई-मेलः yugantarprakriti@gmail.com
मोबाइल 7307071539, 9304955301/2

■ अपनी बात

पर्यावरण की रक्षा

■ अंशुल शरण

प्रिय पाठकों,

पर्यावरण की रक्षा करने का वक्त आ गया है।
इस माह, यानी अक्तूबर में हम सभी को पर्यावरण की विशेष रुप से रक्षा करने हेतु तत्पर रहना होगा।
इसी माह में दीपावली है।
पटाखों का शोर होगा।
घातक गैसों का श्राव होगा।
ध्वनि प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा।
माहौल में कई दिनों तक बारुदी महक रहेगी।
कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी।
अस्पतालों की स्थिति भी खराब रहेगी।
इन वीभत्स दृश्यों से हम लोग बच सकते हैं।
गंधक, बारुद, धातु, घातक रसायन से बने पटाखों को रोकने का बीड़ा हमें ही उठाना होगा।
ग्रीन पटाखे की पैरवी हमें ही करनी होगी।
लोगों को जागरुक करना होगा।
उन्हें बताना होगा कि पटाखों के क्षणिक शोर से सेलिब्रेशन नहीं होता।
उनके क्षणिक आनंद में कई लोग जीवन भर के लिए दवाईयों के सहारे जीने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं।
इसे रोकना ही होगा।
दीपावली मनाएं, धूमधाम से मनाएं।
मिट्टी के दीये जलाएं, ताकि कुम्हारों को दो पैसे मिल सकें।
मिठाइयां खाएं, लोगों को भी खिलाएं ताकि उनका मन भी तृप्त हो।
पटाखे फोड़ने ही हों तो हरे पटाखे फोड़ें।
कोशिश करें कि पटाखों से दूरी बनी रहे।
दीपावली के छह दिनों के बाद छठ है।
छठ में भी अब प्रकृति को दूषित करने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ रहा है।
प्लास्टिक के प्रयोग को भी रोकना होगा।
घर से लेकर बाहर तक प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकना होगा।
तर्क देना होगा कि प्रकृति के पर्व में प्लास्टिक का कोई योगदान नहीं है।
प्रसाद कोई प्लास्टिक के दोने में दे तो उसे आग्रह पूर्वक ना कहें।
उसे समझाएं कि प्लास्टिक ठीक नहीं, छठ जैसे महान पर्व में।
अब तक आपने पर्यावरण के लिए कमिटमेंट किया है।
अब उस कमिटमेंट को निभाने का वक्त आ गया है।
अक्टूबर माह में पर्यावरण को लेकर कई अहम आयोजन हैं।
उन आयोजनों में आपको जरूर हिस्सा लेना चाहिए।
सात दिनों तक यानी 1 से 7 अक्तूबर तक तो वन्य प्राणी सप्ताह ही है।
इसमें जरूर भाग लेना चाहिए।
वन्य प्राणियों के बारे में खुद पढ़िए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए।
एक्सचेंज ऑफ थॉट होगा, तो पर्यावरण का ज्यादा भला होगा।
इस अंक में इतना ही।
पढ़ते रहिए युगांतर प्रकृति!

आपका ही

(अंशुल शरण)

सारंडा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सारंडा को संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया तो अधिकारियों को भेजेंगे जेल

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क/एजेंसियां

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा वन को अभयारण्य घोषित करने में देरी पर कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने पर अधिकारियों को जेल भेजा जा सकता है। राज्य सरकार पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सारंडा वन क्षेत्र को सेंक्चुरी घोषित नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव को आठ अक्टूबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों को जेल भेजा जा सकता है।

पीठ राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी पूर्व निर्देशों का राज्य द्वारा पालन न करने से उत्पन्न एक मामले की सुनवाई कर रही थी। मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड सरकार न केवल टालमटोल कर रही है, बल्कि न्यायालय के साथ छल भी कर रही है। हमारा मानना है कि राज्य सुप्रीम कोर्ट के 29 अप्रैल के आदेश की स्पष्ट अवमानना कर रहा है।

पीठ ने कहा कि हम झारखंड के मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वह 8 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होकर कारण बताएं कि उनके खिलाफ अवमानना के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए।

पीठ ने राज्य के वकील से कहा कि अगर आठ अक्टूबर तक सारंडा वन को अभयारण्य घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो मुख्य सचिव जेल जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट वन को अभयारण्य घोषित करने के लिए परमादेश जारी करेगा।

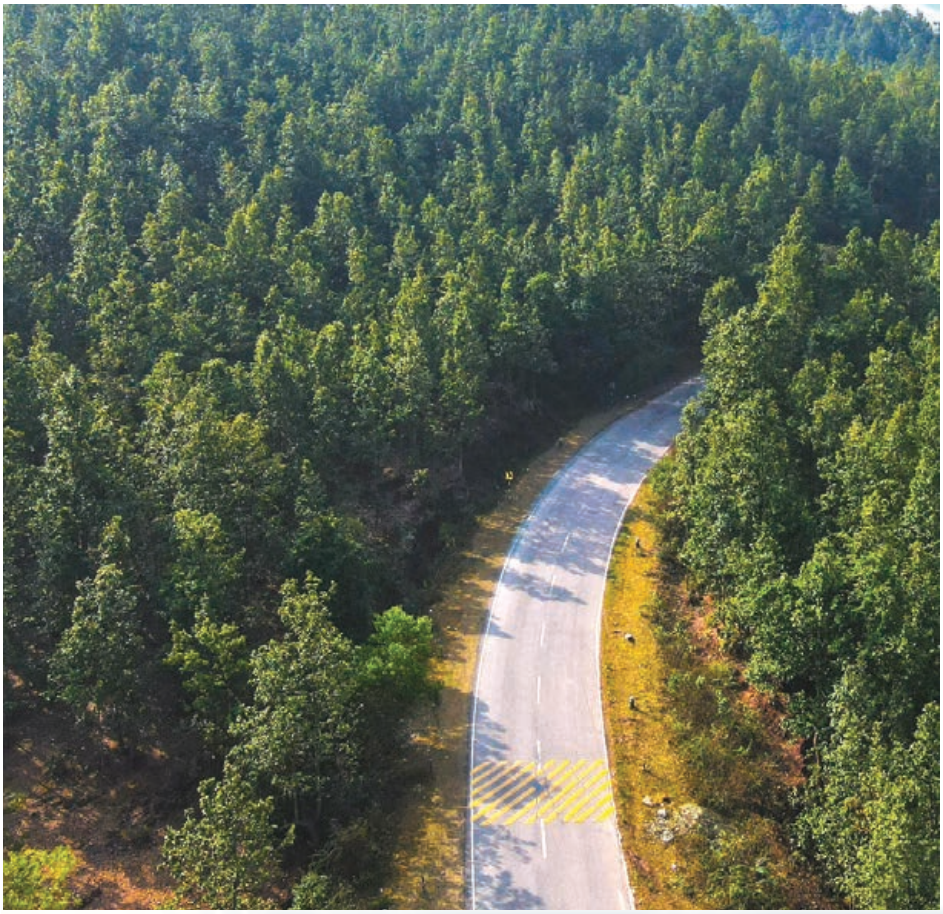

अदालत ने उल्लेख किया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को स्थानीय समुदायों से परामर्श के बाद अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और पारिस्थितिक गलियारों से सटे क्षेत्रों और दो संरक्षित क्षेत्रों को एक-दूसरे से जोड़ने वाले इलाकों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना है। संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के साथ ही उसके प्रबंधन का प्रविधान है। इसका उद्देश्य भूदृश्यों, समुद्री दृश्यों, वनस्पतियों और जीवों और उनके आवास की सुरक्षा करना है।

पीठ ने इस बात की आलोचना की कि राज्य सरकार ने अपने पहले के आदेशों का पालन करते हुए संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के बजाय इस मुद्दे पर आगे विचार-विमर्श के लिए 13 मई को अपने अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण को फाइलें भेजकर मामले में अनावश्यक रूप से विलंब कर रही है।

वन विभाग के सचिव अदालत में पेश, बिना शर्त मांगी माफी

पिछली सुनवाई के दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीक व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और बिना शर्त माफी मांगी। अदालत ने उनकी माफी स्वीकार कर ली और उन्हें आगे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी।

सरकार ने प्रस्ताव भेजे जाने की दी जानकारी

राज्य सरकार ने पीठ को सूचित किया कि उसने प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र को पहले के 31,468.25 हेक्टेयर से बढ़ाकर 57,519.41 हेक्टेयर कर दिया है और अतिरिक्त 13,603.806 हेक्टेयर क्षेत्र को सासंगदाबुरू संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के लिए चिह्नित किया है। पीठ ने कहा कि प्रस्ताव पहले ही विशेषज्ञ टिप्पणियों के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को भेजा जा चुका है।

पीठ ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) को प्रस्ताव भेजे जाने की जांच करने और एक महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पीठ ने राज्य सरकार को डब्ल्यूआईआई की टिप्पणियां प्राप्त होने के दो महीने के भीतर शेष सभी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा विचार, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन और अंतिम अधिसूचना जारी करना शामिल है। ■

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करना दुर्भाग्यपूर्णः सरयू राय

सारंडा प्रकरण: सरकार सतह के नीचे स्थित लौह-अयस्क का खनन करने को प्राथमिकता देना चाह रही

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक और सारंडा संरक्षण अभियान के संयोजक सरयू राय ने गत 24 जून को वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र पर स्वीकृति देने के बावजूद झारखंड सरकार द्वारा 858.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले सारंडा सघन वन के 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य और 136.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण माना है।

यहां जारी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि सारंडा के सतह पर स्थित प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों एवं जैव विविधता का संरक्षण करने को प्राथमिकता देने के बदले झारखण्ड सरकार सतह के नीचे स्थित लौह-अयस्क का खनन करने को प्राथमिकता देना चाह रही है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और खनन, उद्योग आदि योजनाओं के बीच हितों का टकराव होने की स्थिति में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता मिलेगी।

श्री राय ने आश्चर्य जताया कि सरकार को विधि-परामर्श देनेवालों तथा खान, उद्योग और वन एवं पर्यावरण विभाग के सक्षम अधिकारी इस बारे में सरकार को सही सलाह क्यों नही दे रहे हैं।

सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2003-04 से उन जैसा व्यक्ति सारंडा क्षेत्र में खान एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा अविवेकपूर्ण खनन को बढ़ावा देने के प्रति सरकार को प्रमाण सहित सचेत कर रहा है। लौह-अयस्क के अवैध खनन की जांच के लिए 2010 में गठित जस्टिस एम बी शाह आयोग ने इस बारे में सरकार को ठोस सुझाव दिया है।

सरयू राय ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा 2011 में गठित समन्वित वन्यजीव प्रबंधन योजना समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में सरकार को

सरकार ने मंत्री समूह का किया गठन

सारंडा वन क्षेत्र के 575.19 वर्ग किमी क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए सरकार ने मंत्रियों के समूह का गठन किया है। यह समूह वहां की जनजातियों की आर्थिक- सामाजिक स्थिति और वहां चल रही आर्थिक गतिविधियों पर मंत्रिमंडल को रिपोर्ट सोंपेगी। उसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में लिया गया। मंत्रियों के इस समूह में सभी स्टेक होल्डर विभागों के मंत्री भी शामिल होंगे। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि सारंडा को अभयारण्य घोषित करने को लेकर बैठक में लंबी चर्चा हुई। क्षेत्र के सभी स्टेक होल्डर विभागों के सचिवों की राय ली गई। इसके बाद यह फैसला लिया गया।

अविवेकपूर्ण खनन के प्रति सचेत किया है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा 2014 में गठित कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सारंडा अध्ययन समिति ने सारंडा सघन वन क्षेत्र के संरक्षण का महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। इसके साथ ही मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग की समिति ने भी सारंडा क्षेत्र में खनन कार्य की अधिकतम सीमा निर्धारित किया है और वन्यजीवों, जैव विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण का सुझाव दिया है।

वक्तव्य में श्री राय ने कहा कि वर्ष 2007-08 में झारखंड सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने सारंडा वन क्षेत्रों 630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अभग्न क्षेत्र घोषित करने का प्रतिवेदन दिया है, जहां पर खनन प्रतिबंधित होगा। तत्कालीन खान मंत्री सुधीर महतो की सहमति से वन विभाग ने यह प्रस्ताव गजट नोटिफिकेशन के लिए मुख्यमंत्री के यहां 2008 में भेजा पर खान और उद्योग विभाग ने आज तक गजट अधिसूचना जारी नहीं होने दिया। यह निर्णय आजतक सरकार के पास विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने सारंडा के 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 8 अक्टूबर 2025 के पहले सैंक्चुअरी नहीं घोषित करने पर सरकार के मुख्य सचिव को जेल भेजने और इस बारे में परमादेश (mandamus) जारी

> **आश्चर्य है कि अभी भी झारखंड सरकार के वन विभाग के अधिकारी भी खान विभाग के अधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, देहरादून के स्पष्ट प्रतिवेदन के बावजूद खान एवं वन विभाग के अपेक्षाकृत कनीय अधिकारियों की समिति गठित कर इन्होंने इसमें परिवर्तन का ग़ैरक़ानूनी प्रयास किया है।**
>
> **-सरयू राय**

करने की बात कही है तो यह सर्वथा उचित है और झारखंड के मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेकर सारंडा में अविलंब सैंक्चुअरी घोषित करना चाहिए।

सरयू राय ने कहा कि आश्चर्य है कि अभी भी झारखंड सरकार के वन विभाग के अधिकारी भी खान विभाग के अधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, देहरादून के स्पष्ट प्रतिवेदन के बावजूद खान एवं वन विभाग के अपेक्षाकृत कनीय अधिकारियों की समिति गठित कर इन्होंने इसमें परिवर्तन का ग़ैरक़ानूनी प्रयास किया है।

सरयू राय ने बताया कि हाल ही में झारखंड राज्य वन्यजीव पर्षद का गठन किया है, जिसके 27 सदस्यों में से बहुत ढूंढने पर भी शायद ही एकाध वन्यजीव विशेषज्ञ मिलें! गत 1 जून को पर्षद की बैठक विधानसभा में हुई जिसमें सारंडा में सैंक्चुअरी का विषय एजेंडा में प्रमुख था। मुख्यमंत्री पर्षद के अध्यक्ष होते हैं, परंतु बैठक में मुख्यमंत्री बमुश्किल से दो-चार मिनट रहे। उनकी उपस्थिति में बैठक में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, देहरादून के प्रतिवेदन पर प्रतिकूल निर्णय हुआ। नियमानुसार मुख्यमंत्री के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। पर मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में बैठक हुई और निर्णय हुए। यह ग़ैरक़ानूनी है। जिस विषय को सर्वोच्च न्यायालय अतिशय गम्भीरता से ले रहा है, उस विषय को झारखंड सरकार द्वारा हल्के और ग़ैरक़ानूनी ढंग से लेना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

सरयू राय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि वे सारंडा सघन वन में पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करें और सचिव, वन एवं पर्यावरण ने गत 24 जून को सर्वोच्च न्यायालय के सामने विलंब की गलती के लिए माफ़ी माँगते हुए सारंडा सैंक्चुअरी घोषित करने का जो आश्वासन दिया है उसे आगामी 8 अक्टूबर के पहले पूरा करें। ■

सारंडा को मिलेगी नई पहचान

■ ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट

हरी-भरी वादियां और 700 पहाड़ियों की गोद में समाया सारंडा... एशिया का सबसे बड़ा साल वृक्षों का वन है. इसकी खामोशी में प्रकृति की अनकही कहानियां गूंजती हैं. झरनों से गिरती जलधारा की आवाज, सूर्योदय व सूर्यास्त के अद्भुत नजारे और हाथियों के झुंडों की मस्त चाल इस वन क्षेत्र को और भी रहस्यमय बनाते हैं. अब यही सारंडा एक नयी पहचान पाने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का आदेश दिया है. साथ ही, इसके पास स्थित ससांगदाबुरु क्षेत्र को रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया जायेगा. यह फैसला जंगल और यहां की जैव-विविधता को संरक्षित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सारंडा की ओर खींचा देश का ध्यान

सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एक बार फिर एशिया के सबसे बड़े साल (सखुआ) वृक्षों के जंगल की ओर पूरे देश का ध्यान खींचा है. यहां के घने साल वृक्ष, झरने, वन्य जीव और प्राकृतिक वातावरण झारखंड के वाणिज्यिक और पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. औषधीय पौधों और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुणों की वजह से भी सारंडा लंबे समय से चर्चा में रहा है.

जंगल करीब 820 वर्ग किलोमीटर में है फैला

पश्चिम सिंहभूम से लगभग 70 किलोमीटर दूर फैला यह जंगल करीब 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है और समुद्र तल से 244 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है. इसकी सीमा ओडिशा तक फैली हुई है. लगभग 700 पहाड़ियों से घिरा यह इलाका अपनी हरियाली और खूबसूरती के कारण प्रकृति प्रेमियों का आकर्षण केंद्र है. साल के अलावा यहां आम, जामुन, बांस, कटहल और पलाश जैसे हजारों पेड़ भी मौजूद हैं. इतने घने पेड़ों के बीच सूरज की किरणें भी मुश्किल से प्रवेश कर पाती हैं.

वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि उच्च कोटी का है यहां का हैबिटेट

सारंडा के वन क्षेत्र का करीब चार साल पहले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट (देहरादून) और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग (देहरादून) ने स्टडी किया था. इसमें पाया गया था कि सारंडा फॉरेस्ट एरिया में हाइ बायोडावर्सिटी है, जिसमें पक्षियों, तितलियों, मैमल्स और एंफीबियंस मौजूद हैं. रिपोर्ट में इसे संरक्षित करने की सिफारिश की गयी थी. सारंडा में भरपूर घने वनों के साथ पहाड़ियां, घाटियां, झरने और कई प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलते हैं. साल वृक्ष यहां सबसे अधिक मात्रा में मौजूद हैं. आबनूस, कुसुम, महुआ, करंज, अमलतास, सेमर, सागवान, आम, जामुन, केंदुब, भीष्म, गम्हार, आसन, पियार, खैर, पलाश, अर्जुन, नीम, ढेला, पैसार जैसे कई घने वृक्ष सारंडा वन में

देखने को मिलते हैं.

किरीबुरु में सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखने लायक होता

यहां किरीबुरू की पहाड़ियों से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखने लायक होता है. सारंडा के जंगल में हाथी सबसे ज्यादा संख्या में पाये जाते हैं. इसके अलावा तेंदुआ, जंगली भैंस, सांभर, भालू और हिरण के अलावा कई दुर्लभ प्रजातियों के जीव और पक्षी भी यहां बसे हुए हैं.

सारंडा जंगल में है औषधीय पौधों की भरमार

सारंडा जंगल में औषधीय पौधों की भरमार है. सफेद मूसली, काली मूसली, मुलेठी, सतावर, गुडमार, चेरेता, कालीहारी, पत्थरचूर, तुलसी और अर्जुन यहां की विशेषता हैं. कोरोना काल में इन्हीं पौधों के मिश्रण से वन एवं पर्यावरण विभाग ने आयुर्वेद विशेषज्ञों की मदद से एक हर्बल पेय तैयार किया, जिसे ''सारंडा इम्युनिटी बूस्टर'' नाम दिया गया. इसमें गिलोय, अर्जुन की छाल, अमरूद की पत्तियां, अदरक, काली मिर्च और गुड़ जैसी सामग्रियों का उपयोग किया गया है.

ऐतिहासिक दस्तावेज और वर्किंग प्लान

साल 1970 में बने सारंडा वर्किंग प्लान में उल्लेख है कि ब्रिटिश काल में सारंडा के ससांगदा इलाके को अभ्यारण्य के रूप में चिह्नित किया गया था, हालांकि इसके दस्तावेज नहीं मिले. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस क्षेत्र को अभ्यारण्य और ससांगदाबुरु को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. झारखंड में यह 10वां अभ्यारण्य होगा. इनमें दलमा, पलामू टाइगर रिजर्व, हजारीबाग और कोडरमा प्रमुख है.

10 वन ग्रामों की है बसावट

सारंडा जंगल में 10 वन ग्राम बसे हुए हैं, जिनमें थोलकोबाद, तिरिलपोसी, नयागांव, दीघा, बिटकिलसोय, बलिवा, कुमड़ी, करमपदा, नवागांव और भनगांव हैं. ये ग्राम मनोहरपुर और नोवामुंडी प्रखंड में आते हैं. यहां नागरिक सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं. जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाके आते हैं, जबकि कई इलाके मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ते हैं.

यहां फंसा है पेच

सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा के 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने और 13,000 हेक्टेयर में ससांगदाबुरु संरक्षण रिजर्व बनाने का आदेश दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा होगी, साथ ही खनिज संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग भी सुनिश्चित होगा. सारंडा में लौह अयस्क का विशाल भंडार है. यहां लगभग चार बिलियन टन का रिजर्व है. अनुमान है कि 20-30 सालों में इन खदानों से 25 लाख करोड़ रुपये मूल्य का लौह अयस्क निकलेगा, जिससे राज्य सरकार को लगभग पांच लाख करोड़ रुपये बतौर रॉयल्टी मिलेगी. यही वजह है कि लौह अयस्क और उद्योग के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार इसका रिव्यू कर रही है, इसलिए इस पर फैसला नहीं ले पा रही है.

राज्य सरकार को हर हाल में बनाना होगा अभ्यारण्य : डॉक्टर आर के सिंह

सारंडा मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता एवं पर्यावरणविद् डॉ आरके सिंह का कहना है कि राज्य सरकार को हर हाल में अभ्यारण्य और रिजर्व फॉरेस्ट की घोषणा करनी ही होगी. इससे किसी भी तरह का माइनिंग या उद्योग प्रभावित नहीं होगा. इसे लेकर सरकार बेवजह बहानेबाजी कर रही है. उन्होंने कहा कि इससे पारिस्थितिक संतुलन (इकॉलॉजिकल बैलेंस) बरकरार रहेगा.

डॉ आरके सिंह ने कहा कि सारंडा क्षेत्र में माइनिंग के लिए सेंचुरी और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया घटाना गलत है. यह जंगल और वन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा है. हम इस मुद्दे पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे और जंगल बचाने की कानूनी लड़ाई हर स्तर पर लड़ेंगे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई कर रही है. 8 अक्तूबर को इस मामले में फैसला होगा. मुख्य सचिव को तलब किया गया है. इस मामले में झारखंड सरकार गंभीरता से सकारात्मक कदम उठायेगी, ऐसी हमें उम्मीद है. पहले के शपथ पत्र में जो जानकारी दी गयी थी, उसे अगर बदला गया तो फिर इसका प्रतिकार होगा और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठायेंगे. ■

सारंडा के मुख्य आकर्षण

औषधीय पौधे : सफेद मूसली, काली मूसली, मुलेठी, सतावर, गुडमार, चेरेता, पत्थरचूर, तुलसी, अर्जुन

हाथी कॉरिडोर : सारंडा में 2 हाथी कॉरिडोर हैं. कारो-करमपदा हाथी कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 14.48 किलोमीटर है और आंकुआ-अंबिया हाथी कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 10.5 किलोमीटर है.

कारो-करमपदा (14.48 किमी), आंकुआ-अंबिया (10.5 किमी)

मुख्य जीव-जंतु : हाथी, तेंदुआ, भालू, सांभर, हिरण, जंगली भैंस, दुर्लभ पक्षी और तितलियां

खनिज भंडार : लगभग 4 बिलियन टन लौह अयस्क, 25 लाख करोड़ रुपये का संभावित उत्पादन

प्रमुख नदी-झरने : सारंडा में टाइबो झरना, झाड़ीसरिंग झरना, झींगरा फॉल, पंचेरी फॉल, पुंडुल फॉल, बाहुबली झरना, कारो और कोयल नदी समेत कई नदियां और झरने, इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं ■

जानें सारंडा को

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा वन प्रभाग अपने घने साल वनों और साल के बीजों से असाधारण पुनर्जनन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। एक वन प्रशासनिक इकाई के रूप में, सारंडा की सीमाएँ स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। उत्तर में यह कोलकाता-नागपुर दक्षिण-पूर्वी रेलवे लाइन और कोइना नदी द्वारा पोरहाट वन प्रभाग से अलग होता है, जिसके निकट कोल्हान वन प्रभाग है। दक्षिणी सीमा ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के वन क्षेत्रों से सटी है। पूर्व में कारो नदी ओडिशा के क्योंझर वन प्रभाग के साथ-साथ चाईबासा और कोल्हान प्रभागों के वनों के साथ सीमा निर्धारित करती है। पश्चिम में यह ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के वनों से भी घिरा है।

सारंडा नाम स्थानीय हो जनजाति की बोली से आया है, जिसका अर्थ है सात सौ पहाड़ियों की भूमि। यह जंगल लगभग 857.12 वर्ग किमी (85,712 हेक्टेयर) में फैला है और इसमें साल के पेड़ों की प्रधानता है। भूभाग ऊबड़-खाबड़ है। अधिकांश पर्वतमालाएँ 600 मीटर से अधिक ऊँची हैं, जो दक्षिण में सासंगदाबुरु पठार की ओर बढ़ती हैं। समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 927 मीटर है। यहाँ का भूभाग सामान्यतः 300-600 मीटर के बीच है, जिसमें सबसे निचला बिंदु समता घाटी में 200 मीटर है। घाटियां कुछ हिस्सों में तीव्र ढलान वाली होने के बावजूद, खुली और मध्यम होती हैं। बड़ी घाटियों में विशेष रूप से छोटानागरा समूह और दक्षिण कोयल घाटी में, छोटे-विरल रूप से वितरित गाँव पाए जाते हैं, जो जंगल की परिधि पर मनोहरपुर और जेराइकेला तक फैले हुए हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, सारंडा वन प्रभाग की जनसंख्या 51,688 है, जो 1931 में 10,365 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। यहां के निवासी मुख्यतः ओटियो जनजाति के हैं, जो कोलारियन जातीय समूह का हिस्सा हैं। 1980 के दशक में, वन प्रबंधन ने स्थानीय परिदृश्य को नया रूप दिया। आदिवासी आक्रोश और झारखंड आंदोलन को बढ़ावा देने के कारण साल के जंगलों की जगह सागौन के बागान लगाए गए। हालांकि सारंडा शुरू में अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा, लेकिन 1995-96 के बाद पोरहाट, चाईबासा वन प्रभाग और अंततः सारंडा सहित कोल्हान में व्यापक पारिस्थितिक क्षति हुई।

इस बीच, पारंपरिक आजीविका राज्य व्यापार निगम के तहत प्रबंधित वनपालन और लकड़ी का काम चरमरा गया। इसके बाद टीएन गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम यूओआई, (डब्ल्यूपी (सी) 202/1995)) में सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर, 1996 के आदेश ने अनुमोदित कार्य योजनाओं के बिना हरे रंग की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। सारंडा की कार्य योजना 1995-96 में समाप्त हो गई थी और दो से तीन दशकों से अधिक समय तक इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय श्रमिकों की आय कम हो गई और निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा सुगम बनाए गए साल के पेड़ों की अवैध घेराबंदी शुरू हो गई। पूरे सागौन के बागानों को लकड़ी माफियाओं ने गिरा दिया। वन संसाधन डूब गए। वन भूमि पर अतिक्रमण शुरू हो गया। इन सभी ने वन्यजीव आंदोलन क्षेत्रों के लिए आवास की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 2008 और 2011 के बीच, मनोहरपुर-बराजमदा सड़क को छोटानागरा होते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की मंजूरी के बिना चौड़ा किया गया। मिट्टी के किनारों के अभाव में खुर वाले जानवरों के लिए इसे पार करना मुश्किल हो गया और बाद में सुरक्षा के नाम पर वन सड़कों पर कंक्रीट डालने से शिकार और शिकारी के बीच संबंध बिगड़ गए।

यद्यपि सारंडा में लगभग 1900 के बाद से ही हाथ से खनन विधि से लौह-अयस्क का निष्कर्षण शुरू हो गया था, लेकिन 1980 और 2000 के बीच पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय कमज़ोर पड़ गए। कोइना नदी में डाले गए खदान अवशेषों ने हाथियों को अपने आवास छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1988 तक हाथियों के झुंड मध्य प्रदेश की ओर पलायन करने लगे थे। यह आज़ादी के बाद पहली बार हुआ था। मध्य प्रदेश ने 1993 में दस हाथियों को भी पकड़ा था, लेकिन हाथियों का पलायन जारी रहा।

1990 के दशक के मध्य तक पारिस्थितिकी क्षति और बढ़ गई। मेघाहातुबुरु खदानों (1985 में स्थापित) के विस्तार के कारण आसपास के वन क्षेत्रों से भारतीय बाइसन (गौर) लुप्त हो गए। जब प्रभागीय वन अधिकारी ने 1995-96 में कम प्रभाव वाली हल्की रेल लाइन की जगह ट्रक-आधारित अयस्क परिवहन की अनुमति दी, तो जंगल के शांत गलियारे टूट गए। इससे हाथियों का व्यवहार प्रभावित हुआ और अंकुआ आरक्षित वन खंड में भारतीय बाइसन (गौर) भी गायब हो गए।

ये रुझान, जो 2008 से पहले ही शुरू हो गए थे, चीन ओलंपिक के कारण मांग बढ़ने पर लौह-अयस्क निष्कर्षण में तेज़ी से बढ़े। सारंडा के जंगल, जहाँ हाथी, बाइसन, कछुए और अन्य जीव रहते हैं; इस आक्रामक निष्कर्षण का दबाव महसूस करने लगे। सारंडा की पारिस्थितिक पहचान लगातार खतरे में है और जिस विशिष्टता के लिए इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, वह खत्म होती जा रही है। युगांतर भारती द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि प्रशासन में खदान लॉबी द्वारा समर्थित गहन खनन के कारण सारंडा का प्राचीन गौरव दांव पर है। यह देखा गया कि गैर-पारिस्थितिक रूप से अस्वस्थ तरीके से बहुमूल्य भूमिगत प्राकृतिक संसाधनों को निकालने का लालच भूमि, जल, मिट्टी के तीव्र और साथ ही दीर्घकालिक प्रदूषण की ओर ले जा रहा है और गौर आदि जंगली जानवरों की कई करिश्माई प्रजातियों सहित जैव-विविधता का तेजी से लोप हो रहा है। इस गिरावट को कई कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों और विशेषज्ञों ने पहले ही भांप लिया था और समय पर उपचारात्मक उपाय भी सुझाए थे। दुर्भाग्य से, शासन प्रणाली आवश्यक एकीकृत, समग्र दृष्टिकोण के साथ समय पर कार्रवाई करने में विफल रही, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। ■

सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को दी क्लीनचिट

एजेंसी के इनपुट के साथ **युगांतर प्रकृति नेटवर्क**

सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि जामनगर स्थित वंतारा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में जानवरों की खरीद-बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। विशेष जांच दल की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहाः अब इस मामले को बार-बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र समिति ने जांच की है और हम उसी पर भरोसा करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को दो पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन पर एसआईटी बनाने का आदेश दिया था। एक वकील सीआर जया सुकीन और दूसरी याचिका देव शर्मा ने जुलाई में कोल्हापुर के जैन मठ से हाथी 'माधुरी' को वंतारा में ले जाने के विवाद के बाद दायर की थी।

एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी

वंतारा के वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। उनका तर्क था कि अगर रिपोर्ट बाहर आई तो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार उसका केवल कुछ हिस्सा छापकर गलत नैरेटिव बना देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी।

एसआईटी ने 12 सितंबर को रिपोर्ट सौंपी

4 सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व पूर्व जज जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने किया था और टीम में जस्टिस राघवेंद्र चौहान (पूर्व चीफ जस्टिस, उत्तराखंड व तेलंगाना उच्च न्यायालय), पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले और कस्टम्स अधिकारी अनिश गुप्ता शामिल थे। एसआईटी ने 12 सितंबर को रिपोर्ट सौंप दी थी। कोर्ट ने एसआईटी की सराहना की और कहा कि समिति को मानदेय भी दिया जाए।

हथिनी माधुरी के जैन मठ से वनतारा शिफ्टिंग विवाद की टाइमलाइन

- **30 अक्टूबर 2023:** PETA ने महाराष्ट्र वन विभाग और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को शिकायत की। हथिनी माधुरी की तबीयत खराब है। फोटो, रिपोर्ट आदि पेश किए।
- **28 दिसंबर 2023:** सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी (HPC) ने आदेश दिया कि माधुरी को गुजरात के वनतारा पुनर्वास केंद्र भेजा जाए।
- **12 जून और 29 सितंबर 2024:** कमेटी ने फिर नांदणी मठ जाकर माधुरी की स्थिति का निरीक्षण किया और रिपोर्ट दी।
- **27 दिसंबर 2024:** कमेटी ने फिर से हाथी को वनतारा भेजने का आदेश दिया, जिसे नांदणी मठ ने कोर्ट में चुनौती दी।
- **17 मई 2025:** HPC ने दोबारा सुनवाई कर कहा कि माधुरी को वनतारा भेजा जाए।
- **16 जुलाई 2025:** बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, HPC का फैसला सही है, माधुरी को शांति और देखभाल की जरूरत है।
- **25 जुलाई 2025:** सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही माना और पुनर्वास की इजाजत दी।
- **29 जुलाई 2025:** सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम बार याचिका खारिज की। उसी रात माधुरी को वनतारा भेजा गया।

हथिनी माधुरी की शिफ्टिंग के बाद विवाद

16 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि हथिनी माधुरी को वंतारा में शिफ्ट किया जाए। यह आदेश पेटा इंडिया की ओर से हथिनी की सेहत, गठिया और मानसिक तनाव को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद दिया गया था। इससे पहले दिसंबर 2024 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हथिनी के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उसे गुजरात के वंतारा पशु अभयारण्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। फिर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। यह मामला 2023 से चल रहा है।

माधुरी को वंतारा शिफ्ट किए जाने पर कोल्हापुर में जुलाई के आखिरी हफ्ते में विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने उसको वापस लाने के लिए हस्ताक्षर किए। धार्मिक परंपराओं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया।

कोर्ट ने याचिका में वंतारा को पक्षकार बनाने को कहा

माधुरी को वापस लाने वाली याचिका पर पहली सुनवाई 14 अगस्त को हुई थी। इस दौरान जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील सीआर जया सुकीन से कहा था कि वह वंतारा पर आरोप लगा रहे हैं। जबकि उसे याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल ही नहीं किया गया है। अदालत ने उन्हें वंतारा को पक्षकार बनाने और फिर मामले में लौटने को कहा, साथ ही मामले की सुनवाई की तारीख 25 अगस्त तय की। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ 11 अगस्त को हथिनी को वंतारा भेजने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को सहमत हुई थी।

जैन मठ में 32 साल से रह रही थी

कोल्हापुर के नांदणी गांव के जैन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ में माधुरी नाम की हथिनी को 1992 में लाया गया था। इस जैन मठ में 700 सालों से ये परंपरा है कि यहां हाथी पाला जाता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। यहां माधुरी हथिनी को तब लाया गया था, जब वह सिर्फ 4 साल की थी। वह यहां 32 सालों से रह रही थी। ■

ऊर्जा दक्षता दिवस : राष्ट्रदीप का महायज्ञ

भारत की संस्कृति का प्राण तत्व है ऊर्जा। जिस प्रकार नदी बिना जल केवल शुष्क रेत रह जाती है, उसी प्रकार मानव सभ्यता बिना ऊर्जा के निर्जीव शिलाखंड हो जाती है। भारत की संस्कृति में ऊर्जा केवल भौतिक शक्ति नहीं, अपितु आध्यात्मिक आलोक है। ऋषियों ने अग्नि को देवता कहा, सूर्य को जगत आत्मा और वायु को प्राण।

■ **आशुतोष मिश्रा**

ऊर्जा केवल शक्ति नहीं, बल्कि प्राण की धड़कन, जीवन की गति और सभ्यता की ज्योति है। ऋग्वेद के मंत्रों से लेकर आधुनिक प्रयोगशालाओं तक, ऊर्जा को ही "जीवन का जाज्वल्यमान सूर्य" कहा गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं में अग्नि को 'पुरोहित' कहा गया, सूर्य को 'सर्वद्रष्टा' और वायु को 'जीवनी'—यही संकेत देता है कि भारत की संस्कृति में ऊर्जा सदैव देवत्व के रूप में प्रतिष्ठित रही है। यदि जल जीवन है, तो ऊर्जा उसका स्पंदन है। यदि अन्न शरीर को पुष्ट करता है, तो ऊर्जा राष्ट्र को जीवंत और गतिशील बनाती है। आज जब विश्व जलवायु संकट, प्रदूषण और ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है, तब भारत का यह संकल्प कि "ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग ही राष्ट्रनिर्माण का यज्ञ है"—किसी महामंत्र की भाँति गूंज रहा है। आज के युग में वही ऊर्जा—जो कभी

वेदों में मंत्र थी, दीपक में ज्योति थी और रथों में गति थी—अब उद्योगों में मशीन है, शहरों में बिजली है और विज्ञान में खोज है। ऊर्जा दक्षता दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि ऊर्जा केवल उपभोग नहीं, बल्कि संरक्षण और साधना का विषय है।

भारत की ऊर्जा स्थिति : कालिमा और प्रभा का संगम

भारत आज ऊर्जा की एक अद्वितीय महागाथा लिख रहा है। कहीं कोयले का काला धुआँ वातावरण को ढँकता है, तो कहीं सौर ऊर्जा का स्वर्ण प्रभात क्षितिज पर अपनी किरणें बिखेरता है। कहीं पवन-चक्कियों की नर्तन करती भुजाएँ आकाश में नृत्यरत हैं, तो कहीं जलविद्युत की निर्झरिणी वीणा पर्वतीय झरनों के संगीत से गूँज रही है। यह विरोधाभास ही भारत की ऊर्जा स्थिति का परिचायक है—एक ओर परंपरागत स्रोतों की कालिमा है, तो दूसरी ओर नवीकरणीय ऊर्जाओं की प्रभा। हमारे पास 420 गीगावाट से अधिक स्थापित क्षमता है, जो हमारी सामर्थ्य और संभावनाओं का उद्घोष करती है; परंतु विडंबना यह है कि हम अब भी कच्चे तेल के आयात पर निर्भर हैं। यह निर्भरता उस शेर के शावक की तरह है जो सामर्थ्य में अपार होते हुए भी पिंजरे में कैद है—स्वतंत्रता अधूरी है, उड़ान अपूर्ण है। भारत की ऊर्जा स्थिति दरअसल एक ऐसे युगांतरकारी मोड़ पर खड़ी है, जहाँ अंधकार और आलोक दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। यदि कोयला हमें तत्काल शक्ति देता है, तो सौर और पवन हमें भविष्य का उज्ज्वल पथ दिखाते हैं। यदि आयातित तेल हमारी निर्भरता का प्रतीक है, तो नाभिकीय और जलविद्युत हमारी आत्मनिर्भरता की आस्था हैं। यही कालिमा और प्रभा का संगम भारत की ऊर्जा यात्रा को एक ओर चुनौतीपूर्ण बनाता है, तो दूसरी ओर आलोकित भी करता है।

भारत की ऊर्जा यात्रा वास्तव में दीपों का महाकुंभ है, जहाँ विविध स्रोत अपने-अपने स्वरूप में चमकते हैं और मिलकर राष्ट्र के विकास को आलोकित करते हैं। कोयला इस महाकुंभ का सबसे पुराना दीपक है—वह दीपक जो अंधकार को चीरता तो है, परंतु अपने साथ धुएँ और कालिख की परछाइयाँ भी लाता है।

झारखंड और उत्तर प्रदेश : ऊर्जा की दो धाराएँ

भारत की ऊर्जा यात्रा में झारखंड और उत्तर प्रदेश मानो दो विपरीत धाराएँ हैं, जो एक ही नदी में बहते हुए भी भिन्न स्वरूप धारण किए हुए हैं। झारखंड की धरती को यदि ऊर्जा माता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ की खानों में धरती का अग्निहृदय धधकता है, मानो अनगिनत दीपशिखाएँ धरा के गर्भ में जल रही हों। यह प्रदेश केवल अपने घर-आँगन को ही नहीं, अपितु पड़ोसी राज्यों के अंधकार को भी आलोकित करता है। देश के पच्चीस प्रतिशत से अधिक कोयला भंडार यहीं विद्यमान हैं और पाँच हज़ार पाँच सौ मेगावाट से अधिक की ऊर्जा क्षमता इस तथ्य का साक्ष्य है कि झारखंड दीपक की भाँति स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश है, जो भारत का जनसागर तो है, परंतु ऊर्जा की दृष्टि से प्यासा गंगापुत्र प्रतीत होता है। यहाँ की माँग अठाईस हज़ार मेगावाट से भी अधिक है, किंतु पूर्ति मात्र सोलह हज़ार मेगावाट की हो पाती है। यह दृश्य ऐसा है मानो विशाल रेगिस्तान के बीच मृगतृष्णा चमक रही हो, प्यास अपार हो और पानी अपर्याप्त। फिर भी, इस प्रदेश की धरा हार मानने वाली नहीं। बुंदेलखंड की तपन और पूर्वांचल के विस्तीर्ण आँगन आज सौर कुंभों की रोशनी से आलोकित हो रहे हैं। आने वाले समय में यही प्रदेश अपने स्वावलंबन की ज्योति से जगमगाकर "ऊर्जा का अयोध्या दीपोत्सव" रचेगा, जहाँ हर घर, हर आँगन और हर ग्राम अपने स्वयं के प्रकाश से आलोकित होगा। इस प्रकार झारखंड और उत्तर प्रदेश—एक प्रदाता, दूसरा पिपासु—भारत की ऊर्जा यात्रा की दो धाराएँ हैं, जो मिलकर एक ही गंगा की तरह राष्ट्र के भविष्य को पोषित करती हैं।

ऊर्जा स्रोत : दीपों का महाकुंभ

भारत की ऊर्जा यात्रा वास्तव में दीपों का महाकुंभ है, जहाँ विविध स्रोत अपने-अपने स्वरूप में चमकते हैं और मिलकर राष्ट्र के विकास को आलोकित करते हैं। कोयला इस महाकुंभ का सबसे पुराना दीपक है—वह दीपक जो अंधकार को चीरता तो है, परंतु अपने साथ धुएँ और कालिख की परछाइयाँ भी लाता है। यह हमारे लिए उपयोगी और शक्तिसंपन्न है, किंतु इसके कारण वायुमंडल पर जो बोझ बढ़ता है, वह हमें भविष्य के प्रति सजग करता है। जलविद्युत इस कुंभ का दूसरा दीप है, जो पर्वतों की वीणा पर झरनों के स्वर से गूँजता है। जब नदी का प्रवाह बाँधों के द्वारों से टकराता है, तो मानो प्रकृति स्वयं ऊर्जा की धुन छेड़ देती है। पवन ऊर्जा इस महायज्ञ का वह दीप है, जो आकाश की बाँसुरी से उत्पन्न होता है। जब हवा धरती पर नृत्य करती है, तो पवन चक्कियों के पंखुड़ियाँ घूमकर उस नृत्य को विद्युत की रागिनी में बदल देती हैं। सौर ऊर्जा इसमें सबसे महान दीप है—सूर्य का स्वर्णचुम्बन, जो अनन्त, अक्षय और अमृतसमान है। इसकी किरणें किसी भूगोल, किसी ऋतु और किसी राजनीति की मोहताज नहीं होतीं। यही कारण है कि आधुनिक भारत के लिए सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा आधार बन रही है। नाभिकीय ऊर्जा इस दीपकुंभ का वह चिरंतन दीप है, जो अग्नि के अमृतकुंभ से निकला हुआ प्रतीत होता है। इसमें स्थिरता है, शुद्धता है और दीर्घकालिक शक्ति है। भारत का थोरियम भंडार भविष्य के लिए उस अमर ज्योति की आहट है, जो युगों तक आलोकित रहेगी। बायोमास इस महाकुंभ का सबसे सादगीपूर्ण दीप है—ग्राम्य जीवन का चूल्हा, जो राख और अंगारों के बीच भी निरंतर जलता है और जीवन को पोषण देता है। इन सभी दीपों के बीच यदि कोई सबसे शाश्वत और सर्वाधिक मुफीद है, तो वह है सूर्य का प्रकाश—जो कालातीत है और जिसे न कोई काल न कोई सीमा बाँध सकती है। इस प्रकार भारत की ऊर्जा

यात्रा विविध दीपों का ऐसा दिव्य महाकुंभ है, जिसमें हर स्रोत अपनी ज्योति अर्पित करता है और मिलकर राष्ट्र के आलोकमय भविष्य का निर्माण करता है।

नाभिकीय ऊर्जा : अग्नि का चिरंतन वरदान

नाभिकीय ऊर्जा भारत के भविष्य का वह मुकुटमणि है, जो आज भले ही छोटी-सी ज्योति के समान दिखाई दे रहा हो, किंतु आने वाले वर्षों में यह दीपदीपावली की अनन्त शृंखला बनकर राष्ट्र को आलोकित करेगा। वर्तमान में लगभग सात हज़ार पाँच सौ मेगावाट की क्षमता रखने वाली यह शक्ति मानो अभी बाल्यावस्था में है, परंतु 2047 तक इसके पचास हज़ार मेगावाट का विराट दीपगगन बनने की संभावना है। इस ऊर्जा का आधार केवल प्रौद्योगिकी नहीं, बल्कि वह धैर्य और साधना भी है, जो राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करती है। भारत का थोरियम भंडार इस ऊर्जा का अद्भुत खज़ाना है—धरती के गर्भ में छिपा हुआ अमृतघट, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए अनगिनत दीपक प्रज्वलित करने की क्षमता रखता है। यदि कोयला हमें तात्कालिक शक्ति देता है और सूर्य हमें अनन्त प्रकाश देता है, तो नाभिकीय ऊर्जा हमें स्थिरता और दीर्घजीविता प्रदान करती है। यह वही ऊर्जा है, जो अमृतमंथन से प्राप्त दिव्य रत्न की भाँति है—शुद्ध, शाश्वत और अजर-अमर। जब भारत स्वतंत्रता की शताब्दी 2047 में मनाएगा, तब नाभिकीय ऊर्जा उसका अमर दीपस्तंभ होगी—एक ऐसा दीपस्तंभ, जिसकी लौ न आँधियों से बुझ सकती है, न कालखंडों से क्षीण हो सकती है। यह शक्ति भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि विश्व के ऊर्जा परिदृश्य में अग्रणी स्थान पर प्रतिष्ठित करेगी। इस प्रकार नाभिकीय ऊर्जा वास्तव में अग्नि का चिरंतन वरदान है—एक ऐसा वरदान, जो आने वाले शताब्दियों तक राष्ट्रपथ को आलोकित करता रहेगा।

सौर ऊर्जा : आधुनिक भारत का अरुणोदय

सूर्य, जिसे वैदिक ऋषियों ने जगत का आत्मा कहा और जिसकी उपासना भारत ने सहस्त्राब्दियों से जीवन का आधार मानकर की है, आज आधुनिक भारत की ऊर्जा यात्रा का सेनापति बन चुका है। वह सूर्य जो कभी केवल यज्ञ की अग्नि में आहुतियों का साक्षी था, आज सिलिकॉन पैनलों में उतरकर करोड़ों घरों और उद्योगों को आलोकित कर रहा है। सौर ऊर्जा भारत के लिए केवल तकनीक नहीं, बल्कि "तमसो मा ज्योतिर्गमय" की वैदिक पुकार का आधुनिक रूप है।

भारत ने 2010 तक सौर ऊर्जा की दिशा में केवल प्रयोगात्मक कदम उठाए थे, किंतु 2015 में राष्ट्रीय सौर मिशन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की स्थापना ने इस यात्रा को नया मोड़ दिया। 2015 में जहाँ हमारी स्थापित क्षमता मात्र 2.6 गीगावाट थी, वहीं 2025 तक यह क्षमता 75 गीगावाट को पार कर चुकी है। यह प्रगति केवल आँकड़ा नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि भारत ने सूर्य को तकनीक और आत्मनिर्भरता का सबसे विश्वसनीय साथी बना लिया है। लक्ष्य है कि 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित हो और इस दिशा में कदम भी उतनी ही दृढ़ता से बढ़ रहे हैं। राजस्थान का मरुस्थल अब सौर-सागर में बदल चुका है, जहाँ सूर्य की किरणें रेत के कणों को स्वर्णकण में बदल देती हैं। गुजरात का रण अब प्रकाशकुंभ बन चुका है, जहाँ पवन और सूर्य दोनों मिलकर ऊर्जा का महोत्सव रचते हैं। बुंदेलखंड की तपन, जो कभी दुर्भिक्ष का प्रतीक थी, अब

सौर पैनलों पर पड़कर समृद्धि का दीप जला रही है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने ग्रामीण जीवन में भी क्रांति ला दी है। सौर लालटेन, सौर चूल्हे और सौर पंप आज गाँव-गाँव में न केवल अंधकार दूर कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं और किसानों के जीवन को सरल बना रहे हैं। किसान अब डीज़ल पंप पर निर्भर नहीं, बल्कि सूर्य की किरणों पर विश्वास करके खेतों में हरियाली उगा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में छतों पर सौर पैनल मानो छोटे-छोटे सूर्य बन गए हैं, जो घरों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं।

इस सारी प्रगति का आकलन यह बताता है कि सौर ऊर्जा केवल भविष्य का सपना नहीं, बल्कि वर्तमान का यथार्थ बन चुकी है। यह ऊर्जा प्रदूषणरहित है, अक्षय है और भारत को विदेशी तेल व कोयले की जंजीरों से मुक्त करने की क्षमता रखती है। आने वाले वर्षों में जब यह तकनीक और भी सस्ती होगी, तब हर घर, हर विद्यालय, हर उद्योग सूर्य की ज्योति से आलोकित होगा। वास्तव में, आधुनिक भारत का अरुणोदय सौर ऊर्जा के आलोक से ही संभव है। सूर्य केवल आकाश का तारा नहीं, बल्कि राष्ट्र का दीपगुरु बनकर भारत को विश्व के पथप्रदर्शक की भूमिका में स्थापित कर रहा है।

ऊर्जा संरक्षण : दीपों का महायज्ञ

ऊर्जा का संरक्षण कोई साधारण कर्म नहीं, यह राष्ट्रधर्म है, यह भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, यह सभ्यता की निरंतरता का संकल्प है। जिस प्रकार यज्ञ में प्रत्येक आहुति मिलकर अग्नि को प्रज्वलित रखती है, उसी प्रकार नागरिकों की छोटी-छोटी सावधानियाँ मिलकर ऊर्जा संरक्षण का महायज्ञ रचती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में एक साधारण बल्ब की जगह एलईडी दीपक का प्रयोग करता है, तो वह मानो अपनी आहुति से इस महायज्ञ में एक ज्योति जोड़ देता है। पाँच सितारा उपकरण केवल भौतिक सुख का साधन नहीं, बल्कि वे राष्ट्र के प्रहरी हैं, जो मितव्ययिता का संदेश देते हैं। सार्वजनिक परिवहन केवल यात्रा का साधन नहीं, यह राष्ट्र का रथ है, जिसमें लाखों-करोड़ों यात्री एक साथ बैठकर ऊर्जा की बचत का संकल्प निभाते हैं। ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा केवल सीमेंट और ईंट की संरचना नहीं, बल्कि यह प्रकृति की गोद में बना हुआ आश्रम है, जहाँ सूर्य की किरणें खिड़कियों से भीतर आकर कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता को कम करती हैं, जहाँ वर्षा का जल संरक्षित होकर ऊर्जा और जीवन दोनों को पोषित करता है। बायोगैस संयंत्र ग्राम्य जीवन की रसोई को आलोकित करने वाला अनन्त दीप है, जो केवल धुएँ रहित आँच ही नहीं देता, बल्कि गाँव की जैविक संस्कृति को भी जीवित रखता है।

ऊर्जा संरक्षण की यह साधना तभी सफल होगी जब यह प्रत्येक नागरिक के जीवन का अंग बन जाए। जब बच्चा अपने विद्यालय में पंखा बंद करना सीखेगा, जब किसान खेतों में पंप के साथ-साथ सूर्य की शक्ति को साधेगा, जब गृहिणी रसोई में अनावश्यक गैस व्यर्थ नहीं करेगी और जब उद्योगपति अपनी मशीनों को कुशलता से चलाएगा—तभी यह महायज्ञ पूर्ण होगा। तब यह राष्ट्र केवल उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि सृजनकर्ता बन जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का यह दीपों का महायज्ञ भारत को भविष्य में वह शक्ति देगा, जिससे वह न केवल अपनी आवश्यकताएँ पूरी करेगा, बल्कि विश्व को भी दिखाएगा कि "मितव्ययिता ही महाशक्ति है।"

ऊर्जा संरक्षण की यह साधना तभी सफल होगी जब यह प्रत्येक नागरिक के जीवन का अंग बन जाए। जब बच्चा अपने विद्यालय में पंखा बंद करना सीखेगा, जब किसान खेतों में पंप के साथ-साथ सूर्य की शक्ति को साधेगा, जब गृहिणी रसोई में अनावश्यक गैस व्यर्थ नहीं करेगी और जब उद्योगपति अपनी मशीनों को कुशलता से चलाएगा—तभी यह महायज्ञ पूर्ण होगा।

जन-जागरूकता के लिए राज्य, केंद्र और गैर सरकारी संगठनों का योगदान

ऊर्जा संरक्षण और दक्षता का अभियान केवल तकनीक और आँकड़ों का प्रश्न नहीं है, यह जनचेतना का विषय है। जब तक नागरिक स्वयं यह न मानें कि ऊर्जा बचाना ही भविष्य बचाना है, तब तक कोई भी योजना सफलता तक नहीं पहुँच सकती। इस महायज्ञ में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और गैर सरकारी संगठन तीनों अपनी-अपनी आहुति देकर इसे पूर्ण बनाते हैं। केंद्र सरकार सूर्य के समान है, जो नीतियों और कार्यक्रमों के रूप में दिशा प्रदान करती है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की पहलें, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, स्टार लेबलिंग प्रोग्राम और उजाला योजना इसके उदाहरण हैं। करोड़ों एलईडी बल्ब बाँटकर केंद्र ने यह सिद्ध किया कि ऊर्जा बचाना केवल नारा नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहार बन सकता है। राज्य सरकारें प्रवाहमान नदियों की भाँति हैं, जो केंद्र की नीतियों को अपने भूगोल और आवश्यकताओं के अनुसार गाँव-गाँव और शहर-शहर तक पहुँचाती हैं। राजस्थान ने मरुस्थल में सौर-सागर रच दिया, गुजरात ने रणभूमि को प्रकाशकुंभ बना दिया, तमिलनाडु ने पवनचक्कियों से हवा का संगीत रच दिया, और उत्तर प्रदेश ने सौर पंपों व रूफटॉप प्रोजेक्ट से आशा का नया दीप जलाया।

गैर सरकारी संगठन इस यज्ञ के मौन दीपक हैं। वे गाँवों में जाकर समझाते हैं कि ऊर्जा बचाना ही पर्यावरण की रक्षा है। वे सौर लालटेन बाँटते हैं, बायोगैस संयंत्रों का प्रशिक्षण देते हैं, विद्यालयों में ऊर्जा क्लब बनाते हैं और युवाओं को साइकिलिंग तथा कार-पूलिंग का संदेश देते हैं। इनके कार्य से जनचेतना जीवित होती है और हर नागरिक को यह अहसास होता है कि उसका छोटा-सा कदम भी राष्ट्र की ऊर्जा यात्रा को आलोकित कर सकता है।

जब केंद्र की नीतियाँ, राज्यों का क्रियान्वयन और समाज की चेतना एक साथ मिलती हैं, तभी ऊर्जा दक्षता का यह अभियान जनांदोलन बनता है। यही सामूहिक आहुति है, जो ऊर्जा संरक्षण के महायज्ञ को पूर्णता प्रदान करती है।

भारत का आलोकमय भविष्य

ऊर्जा दक्षता दिवस केवल तिथि नहीं, यह राष्ट्र के भविष्य का दीपोत्सव है। 2047 में जब भारत शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब वह केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि विश्व का दीपप्रज्वलक होगा। सौर और नाभिकीय ऊर्जा होंगे हमारे सप्तऋषि, ऊर्जा दक्षता होगी हमारी ध्रुवतारा, और भारत बनेगा विश्वगुरु ही नहीं, आलोकगुरु भी। ■

अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस पर विशेष

ई-कचरे का बढ़ना खतरनाक

इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई-कचरा उन सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके हिस्सों से आता है जिन्हें बिना उपयोग के कचरे में फेंक दिया जाता है।

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई-कचरा उन सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके हिस्सों से आता है, जिन्हें बिना उपयोग के कचरे में फेंक दिया जाता है। ई-कचरे में फेंके गए कंप्यूटर मॉनिटर, मदरबोर्ड, मोबाइल फोन और चार्जर, सीडी, हेडफ़ोन, टेलीविजन सेट, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर और प्लग, केबल या बैटरी, यूएसबी, कार्ड रीडर, गेम कंसोल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसी कई चीजें शामिल हैं।

जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सही तरीके से निपटान नहीं किया जाता है, तो वे अक्सर लैंडफिल में जाकर मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में सीसा, पारा, कैडमियम और ज्वलनशील जैसे विभिन्न खतरनाक पदार्थ होते हैं, जो मिट्टी और जल स्रोतों में घुल सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित कर सकते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरे पैदा कर सकते हैं। पारा इंसान के मस्तिष्क को भारी नुकसान पहुंचाता है।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में दुनिया भर में प्रति व्यक्ति आठ किलोग्राम ई-कचरा पैदा हुआ। इसका मतलब है कि एक साल के भीतर 6.13 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेंका गया, जो चीन की सबसे बड़ी दीवार के वजन से भी अधिक है। इस कचरे का केवल 17.4 प्रतिशत, जिसमें हानिकारक पदार्थ और कीमती सामग्री का मिश्रण है, दुनिया भर में ठीक से एकत्र, उपचारित और पुनर्चक्रित किए जाने के रूप में दर्ज किया जाता है। शेष 5.06 करोड़ टन को या तो लैंडफिल में डाल दिया जाता है, या जला दिया जाता है, या इसका अवैध रूप से व्यापार किया जाता है।

यूरोप में, जो ई-कचरा रीसाइक्लिंग में दुनिया में सबसे आगे है, केवल 54 प्रतिशत ई-कचरा आधिकारिक तौर पर एकत्र और रीसायकल होने की रिपोर्ट है। सार्वजनिक जागरूकता की कमी देशों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सर्कुलर

अर्थव्यवस्था विकसित करने से रोक रही है।

ई-कचरे में सोना, चांदी और तांबा जैसे मूल्यवान और दुर्लभ तत्व भी होते हैं, जिन्हें क्रिटिकल रॉ मटेरियल कहा जाता है, जो पर्यावरण के हिसाब से अनुकूल और नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब ई-कचरे को ठीक से रिसाइकिल नहीं किया जाता है, तो ये मूल्यवान सामग्री बेकार हो जाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, ई-कचरा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले ठोस कचरे में से एक है। साल 2022 में दुनिया भर में लगभग 6.2 करोड़ टन ई-कचरा उत्पादित किया गया। केवल 22.3 फीसदी को औपचारिक रूप से एकत्र और रीसायकल किया गया था।

सीसा एक सामान्य पदार्थ है जो पर्यावरण में तब निकलता है जब ई-कचरे को खुले में जलाने सहित सही तरीके से रीसायकल नहीं किया जाता है, सही तरह से एकत्रित या डंप नहीं किया जाता है। सही तरीके से ई-कचरे का रीसायकल न होने पर इसके स्वास्थ्य पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। बच्चे और गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से इसके कारण असुरक्षित हैं।

आईएलओ और डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि दुनिया भर में सही तरीके से रीसायकल न करने से क्षेत्र में काम करने वाली लाखों महिलाएं और बाल मजदूर खतरनाक ई-कचरे के संपर्क के

यूरोप में, जो ई-कचरा रीसाइक्लिंग में दुनिया में सबसे आगे है, केवल 54 प्रतिशत ई-कचरा आधिकारिक तौर पर एकत्र और रीसायकल होने की रिपोर्ट है। सार्वजनिक जागरूकता की कमी देशों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था विकसित करने से रोक रही है।

खतरे में हैं। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च (यूनिटार) की मानें तो 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक कचरे में 32 फीसदी की बढ़ोतरी होकर 8.2 करोड़ टन होने के आसार हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस सबसे पहले 2018 में मनाया गया था, जब इस कार्यक्रम की शुरुआत इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपशिष्ट (डब्ल्यूईईई) फोरम द्वारा की गई थी। इस दिन को शुरू करने का उद्देश्य ई-कचरे को कम करने और रीसायकल करने के बारे में लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ाना था, जिससे लोगों और कंपनियों को पर्यावरण की रक्षा के लिए और अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

डब्ल्यूईईई फोरम एक अंतरराष्ट्रीय संघ है जो दर्जनों विभिन्न ई-कचरा एकत्र करने वाली योजनाओं से बना है जो दुनिया भर के कम से कम 20 अलग-अलग देशों में एक साथ काम कर रहे हैं।

ई-कचरा एक बढ़ता हुआ खतरा है जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। यहाँ कुछ नुकसान हैं जो ई-कचरे से हो सकते हैं:

- **विषाक्त पदार्थ:** ई-कचरे में विषाक्त पदार्थ जैसे कि लेड, मरकरी, और कैडमियम होते हैं जो मिट्टी और पानी में मिलकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- **जल प्रदूषण:** ई-कचरे के निपटान से जल प्रदूषण हो सकता है, जो जलीय जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है।
- **वायु प्रदूषण:** ई-कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण हो सकता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
- **मिट्टी प्रदूषण:** ई-कचरे के निपटान से मिट्टी प्रदूषण हो सकता है, जो पौधों और जानवरों के लिए खतरनाक हो सकता है।
- **स्वास्थ्य समस्याएं:** ई-कचरे के संपर्क में आने से मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि कैंसर, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, और प्रजनन संबंधी समस्याएं।

ई-कचरे का समाधान

- **पुनर्चक्रण:** ई-कचरे का पुनर्चक्रण करना एक अच्छा विकल्प है, जिससे हम ई-कचरे के नुकसान को कम कर सकते हैं।
- **सुरक्षित निपटान:** ई-कचरे का सुरक्षित निपटान करना आवश्यक है, जिससे हम पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान से बचा सकते हैं।
- **जागरूकता:** ई-कचरे के बारे में जागरूकता फैलाना आवश्यक है, जिससे लोग ई-कचरे के नुकसान को समझ सकें और इसके निपटान के लिए सही तरीके अपना सकें। ■

हर साल 90,000 माइक्रोप्लास्टिक कण निगल रहे बोतलबंद पानी पीने वाले लोग

एक शोध से पता चला है कि अगर बोतलबंद पानी नियमित पिया जाए, तो हर साल माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक के हजारों कण सीधे शरीर में जमा हो सकते हैं। एक बार शरीर में घुसने के बाद ये सूक्ष्म कण खून तक पहुंच सकते हैं और वहां से दिल, दिमाग और दूसरे अहम अंगों में फैल सकते हैं...

▪ **ललित मौर्या**

क्या आप जानते हैं कि औसतन हर व्यक्ति साल में 52,000 तक माइक्रोप्लास्टिक के कण निगल जाता है। इसका खुलासा कॉनकॉर्डिया विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं ने अपने नए अध्ययन में किया है। अपने इस अध्ययन में उन्होंने 140 से अधिक वैज्ञानिक शोधों की समीक्षा की है।

शोधकर्ताओं का यह भी दावा है कि जो लोग बोतलबंद पानी पीते हैं वो नल जल पीने वालों की तुलना में माइक्रोप्लास्टिक के करीब 90,000 कण अतिरिक्त निगल जाते हैं। गौरतलब है कि प्लास्टिक के ये महीन कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते।

माइक्रोप्लास्टिक का आकार एक माइक्रोन (यानी एक मिलीमीटर के हजारवें हिस्से) से लेकर पांच मिलीमीटर तक होता है। वहीं प्लास्टिक के इससे भी महीन कणों को नैनोप्लास्टिक कहा जाता है।

शोधकर्ताओं ने इस बात की भी पुष्टि की है कि प्लास्टिक के ये कण बोतलों के निर्माण, भंडारण, धूप-गर्मी और इस्तेमाल के दौरान समय के साथ टूटकर निकलते रहते हैं। उनके मुताबिक अक्सर ये बोतलें कम गुणवत्ता वाले सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी होती हैं, इसलिए धूप या तापमान के बदलने पर इनमें से छोटे-छोटे कण बार-बार निकलते रहते हैं।

बाकी प्लास्टिक के कण जहां खाने की श्रृंखला के जरिए शरीर में जा रहे हैं, वहीं ये सीधे पानी के साथ शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। यह अध्ययन कॉनकॉर्डिया विश्वविद्यालय से जुड़ी पीएचडी शोधकर्ता सारा साजेदी के नेतृत्व में किया गया है, जिसके नतीजे जर्नल ऑफ हैजर्डस मैटेरियल्स में प्रकाशित हुए हैं। इसमें उन्होंने बोतलबंद पानी के स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर खतरों की पड़ताल की है।

शरीर पर गहरा असर

शोधकर्ताओं के मुताबिक एक बार शरीर में घुसने के बाद ये सूक्ष्म कण खून तक पहुंच सकते हैं और वहां से दिल, दिमाग और दूसरे अहम अंगों में फैल सकते हैं। साजेदी के मुताबिक, प्लास्टिक के इन महीन कणों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकते हैं। शरीर में पहुंचने के बाद ये खून में घुलकर महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंच जाते हैं। इससे लगातार सूजन, कोशिकाओं पर ऑक्सीडेटिव दबाव, हार्मोनल असंतुलन, प्रजनन क्षमता में कमी, दिमागी नुकसान और कैंसर जैसी

बीमारियां हो सकती हैं।

हालांकि इनके लंबे समय तक होने वाले प्रभावों को अभी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है, क्योंकि इस पर पर्याप्त जांच और मानक परीक्षण पद्धतियां उपलब्ध नहीं हैं। साजेदी मानती हैं कि सरकारें प्लास्टिक कचरे पर कानून तो बना रही हैं, लेकिन ज्यादातर ध्यान थैलियों, स्ट्रॉ और पैकेजिंग पर है। बोतलबंद पानी पर बहुत कम कदम उठाए गए हैं।

उनका प्रेस विज्ञप्ति में कहना है, "आपातकाल में प्लास्टिक बोतल से पानी पीना ठीक है, लेकिन इसे रोजमर्रा की आदत नहीं बनाना चाहिए। असली खतरा तात्कालिक जहर से नहीं बल्कि लंबे समय तक जमा होते रहने वाले जहर से है।"

देखा जाए तो दुनिया भर में बोतल बंद पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्या बोतल बंद पानी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिहाज से फायदे का सौदा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है?

पिछले शोधों में भी बढ़ती समस्या पर डाला गया है प्रकाश

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट बोतल बंद पानी की 10 लाख बोतलें खरीदी जाती हैं। वहीं दुनिया भर में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्लास्टिक की बोतलों से हानिकारक केमिकलों के रिसने का खतरा बना रहता है, खासकर अगर पानी को लंबे समय तक इन बोतलों में स्टोर किया जाता है, या फिर इन्हें धूप या बेहद अधिक तापमान में छोड़ दिया जाता है।

अध्ययन से पता चला है कि बोतलबंद पानी के दस से 78 फीसदी तक नमूनों में दूषित पदार्थ होते हैं। यहां तक कि इनमें माइक्रोप्लास्टिक जैसे प्रदूषक भी पाए गए हैं, जो हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही बोतलबंद पाने में अन्य हानिकारक पदार्थ जैसे कि फथलेट्स और बिस्फेनॉल ए भी पाए गए हैं।

शोधकर्ताओं के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी से ऑक्सीडेटिव तनाव, प्रतिरक्षा प्रणाली में कमजोरी और रक्त में वसा के स्तर में बदलाव जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वहीं बीपीए के संपर्क में आने से जीवन में आगे चलकर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इनमें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और मोटापा शामिल हैं।

अध्ययन के मुताबिक प्लास्टिक की बोतलों से पैदा हो रहे कचरे के साथ-साथ, इनके लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, साथ ही निर्माण के दौरान बहुत ज्यादा उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण के साथ-साथ जलवायु पर भी गहरा असर डालता है। ■

हवा की जंग में पिछड़ा जमशेदपुर

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

स्वच्छ भारत अभियान में लगातार परचम लहराने वाली हमारी लौहनगरी, जमशेदपुर को इस बार 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025' में एक झटका लगा है। जिस शहर ने स्वच्छता में सूबे को गौरवान्वित किया, वह वायु गुणवत्ता की दौड़ में राष्ट्रीय स्तर पर 23वें पायदान पर खिसक गया है, जबकि पिछले साल वह 17वें स्थान पर काबिज था। यह गिरावट चौंकाने वाली है, लेकिन फिर भी जमशेदपुर ने झारखंड में अपनी बादशाहत कायम रखी है। इस बार भी रांची और धनबाद को पीछे छोड़ते हुए जमशेदपुर ने राज्य में 'स्वच्छ हवा' का ताज अपने सिर पर बनाए रखा है।

रैंकिंग का गणित और बदलता समीकरण

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत आयोजित इस सर्वेक्षण में शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार के प्रयासों का मूल्यांकन किया जाता है। इस साल के नतीजे बताते हैं कि जमशेदपुर 23वें स्थान पर है, जबकि धनबाद 29वें और राजधानी रांची 30वें स्थान पर है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल (2023) धनबाद 34वें स्थान पर था, यानी उसने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। वहीं, जमशेदपुर और रांची दोनों की रैंकिंग गिरी है। यह आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जमशेदपुर को अपनी खोई हुई रैंकिंग वापस पाने और हवा को और भी साफ बनाने के लिए कमर कसनी होगी।

हवा की जंग: क्यों फिसला जमशेदपुर?

जमशेदपुर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण, वाहनों से होने वाले धुएं को कम करने के लिए उपाय और पौधरोपण अभियान लगातार जारी हैं। इसके बावजूद, रैंकिंग में गिरावट इस बात का संकेत है कि ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं या उन्हें सही गति नहीं मिल पा रही है। संभव है कि शहर में बढ़ते वाहनों की संख्या, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल और कुछ अनियंत्रित औद्योगिक गतिविधियों ने वायु गुणवत्ता को प्रभावित किया हो। इस चुनौती से निपटने के लिए शहर को अब और भी आक्रामक और प्रभावी नीतियां बनानी होंगी।

जमशेदपुर चैंपियन की नई जिम्मेदारी

भले ही रैंकिंग गिरी हो, लेकिन जमशेदपुर अब भी झारखंड के लिए 'स्वच्छ हवा' का आदर्श है। यह उपलब्धि शहर के लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। यह साफ है कि हमें अपनी पिछली रैंकिंग को सिर्फ वापस हासिल नहीं करना है, बल्कि अपनी वायु गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है। इसके लिए, हमें प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को और सख्ती से लागू करना होगा, सड़कों पर धूल को नियंत्रित करना होगा, हरित क्षेत्रों का विस्तार करना होगा

और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता लानी होगी।

यह सर्वेक्षण 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में होता है और इसमें जमशेदपुर का प्रदर्शन पूरे झारखंड में सबसे बेहतर रहा है। यह जमशेदपुर के लिए एक बड़ा मौका है कि वह अपनी पुरानी चमक को वापस लाए और अगले सर्वेक्षण में एक बेहतर रैंक हासिल करे। शहर को 'स्वच्छ भारत' के साथ-साथ 'स्वच्छ हवा' के मोर्चे पर भी मिसाल कायम करनी होगी, ताकि हमारी लौहनगरी सिर्फ विकास ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ भविष्य का भी प्रतीक बन सके। ■

ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है अफ्रीका

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ अफ्रीकाज एनवायरमेंट 2025 जारी कर दी है.

रिपोर्ट की खास बातें

- सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार, अफ्रीका वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक 10 करोड़ लोग विस्थापित हो सकते हैं।
- यह रिपोर्ट अफ्रीका के पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालने वाले मुद्दों जैसे जलवायु अनुकूलन, कार्बन बाजार और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है।
- 2021 से 2025 के बीच मौसम और जलवायु से जुड़ी आपदाओं ने वहां करीब 22.2 करोड़ लोगों के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है।
- यह पांच साल मौसम, जलवायु और पानी से जुड़ी आपदाओं की वजह से इंसानी जानमाल हुए नुकसान के लिहाज से सबसे विनाशकारी साबित हुए हैं।
- आपदाओं के कारण हर साल विस्थापित होने वालों की संख्या 2009 में 11 लाख से बढ़कर 2023 में 63 लाख पर पहुंच गई।
- अगर वैश्विक तापमान दो डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करता है तो अफ्रीका की आधी आबादी कुपोषण से जूझने को मजबूर हो सकती है।
- आंकड़ों के मुताबिक जहां 2023 में हैजे के मामले पिछले साल की तुलना में 125 फीसदी बढ़े। वहीं इसी साल मलेरिया संक्रमण में भी 14 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया।

युगांतर प्रकृति नेटवर्क

अफ्रीका वैश्विक औसत से कहीं तेजी से गर्म हो रहा है। यह गंभीर चेतावनी दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) और डाउन टू अर्थ ने अपन ताजा रिपोर्ट "स्टेट ऑफ अफ्रीकाज एनवायरनमेंट 2025" में दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 अफ्रीका का अब तक का सबसे गर्म साल रहा। ऐसा नहीं है कि गर्मी सिर्फ जमीनी हिस्सों को प्रभावित कर रही है। महाद्वीप के चारों ओर मौजूद महासागर भी समुद्री लू और गर्मी से तप रहे है। इसका सीधा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है।

रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि 2021 से 2025 के बीच मौसम और जलवायु से जुड़ी आपदाओं ने वहां करीब 22.2 करोड़ लोगों के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। यह पांच साल मौसम, जलवायु और पानी से जुड़ी आपदाओं की वजह से इंसानी जानमाल हुए नुकसान के लिहाज से सबसे विनाशकारी साबित हुए हैं।

गौरतलब है कि यह रिपोर्ट 18 सितम्बर 2025 को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में जारी की गई है। यह रिपोर्ट अफ्रीकी पत्रकारों की जमीनी पड़ताल पर आधारित है। इसमें जलवायु अनुकूलन, कार्बन बाजार, जलवायु ऋण, पलायन, खाद्य सुरक्षा, पानी और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों को संबोधित किया गया है। साथ ही इसमें गहराई से शोध किए गए आंकड़े पेश किए गए हैं।

सबसे चिंताजनक तस्वीर विस्थापन और पलायन की है। रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका की करीब

5 फीसदी आबादी (यानी करीब 10 करोड़ लोग) अपना घर छोड़ने को मजबूर हो सकती है। यह दुनिया में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला सबसे बड़ा विस्थापन है।

आंकड़ों ने उजागर किया है कि आपदाओं के कारण हर साल विस्थापित होने वालों की संख्या 2009 में 11 लाख से बढ़कर 2023 में 63 लाख पर पहुंच गई। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से जलवायु से जुड़ी घटनाओं जैसे बाढ़ और सूखे के कारण हुई।

कृषि, भोजन और स्वास्थ्य पर संकट

इतना ही नहीं जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण ने खेती-किसानी पर गहरा असर डाला है। अनुमान है कि इसकी वजह से कृषि पैदावार में 18 फीसदी की गिरावट आई है। रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम और मध्य अफ्रीका का कोको उत्पादन, जो दुनिया की 70 फीसदी जरूरत पूरी करता है, इससे बुरी तरह प्रभावित होगा।

चिंता की बात यह है कि अगर वैश्विक तापमान दो डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करता है तो अफ्रीका की आधी आबादी कुपोषण से जूझने को मजबूर हो सकती है।

जलवायु परिवर्तन पर बने अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) का भी अनुमान है कि सहारा के दक्षिणी हिस्सों में 2050 तक मक्के की पैदावार 22 फीसदी तक घट सकती है। वहीं जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में यह गिरावट 30 फीसदी से भी ज्यादा होने का अंदेशा है। आशंका है कि इस अवधि में गेहूं उत्पादन 35 फीसदी तक घट सकता है।

यूनेस्को से जुड़ी डॉक्टर रीटा बिस्सूनौथ का रिपोर्ट के बारे में कहना है, "सीएसई की यह रिपोर्ट केवल वैज्ञानिक आकलन नहीं, बल्कि एक नैतिक चेतावनी है। यह ऐसे समय में आई है जब अफ्रीका उस जलवायु संकट की पहली पंक्ति में खड़ा है, जिसे उसने पैदा नहीं किया, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा मार वही झेल रहा है।उत्तरी अफ्रीका में हर साल औसतन 1.18 अरब डॉलर और उप-सहारा अफ्रीका में 1.25 अरब डॉलर का सीधा आर्थिक नुकसान हो रहा है। संदेश साफ है विकास की यह राह शाश्वत नहीं है।"

2024 अफ्रीका का अब तक का सबसे गर्म साल रहा। ऐसा नहीं है कि गर्मी सिर्फ जमीनी हिस्सों को प्रभावित कर रही है। महाद्वीप के चारों ओर मौजूद महासागर भी समुद्री लू और गर्मी से तप रहे है। इसका सीधा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है।

स्वास्थ्य के मोर्चे पर तस्वीर बेहद भयावह

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी तस्वीर भयावह है। रिपोर्ट के मुताबिक अब हैजा का सबसे बड़ा बोझ अफ्रीका पर आ गया है। आंकड़ों के मुताबिक जहां 2023 में हैजे के मामले पिछले साल की तुलना में 125 फीसदी बढ़े। वहीं इसी साल मलेरिया संक्रमण में भी 14 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया।

रिपोर्ट जारी करते हुए इथियोपिया के बायो एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के महानिदेशक प्रोफेसर कसाहुन टेस्फाये ने कहा "रिपोर्ट के आंकड़े भले ही चिंताजनक हों, लेकिन वे आगे का रास्ता भी दिखाते हैं। यह साफ है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन और जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, जिनके सहारे हम शाश्वत बायोइकोनॉमी खड़ी कर सकते हैं। समाधान केवल उस संकट को कम करने में नहीं है जिसे हमने पैदा ही नहीं किया, बल्कि एक बिल्कुल नए विकास मॉडल को अपनाने में है और वह मॉडल है अफ्रीकी बायोइकोनॉमी।"

'बायोइकोनॉमी' को समझाते हुए प्रोफेसर कसाहुन ने कहा "यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जो नवीकरणीय जैविक संसाधनों से भोजन, सामग्री और ऊर्जा तैयार करती है। इसमें अपशिष्ट अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होता है।"

सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने इस मौके पर कहा "अफ्रीका में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। यहां हर देश अब अपने स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियां बना रहा है, चाहे वह नेट-जीरो की रणनीति हो या स्थानीय ज्ञान से सूखे और चरम मौसम से जूझने की कोशिश। आज हर अफ्रीकी देश के पास दिखाने के लिए अपने अनुकूलन कार्यक्रम हैं।" ■

लुप्तप्राय वन्य जीवों को सहारा मिला

वन्यजीव प्रकृति में विभिन्न प्रक्रियाओं को स्थिरता प्रदान करते हैं। उनका संरक्षण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। इसे कैसे संतुलित बनाया जाए, इसकी भी चर्चा पूरे हफ्ते भर होती है।

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

वन्य जीव सप्ताह प्रकृति और उसके जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव जीवन का अस्तित्व पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन पर निर्भर करता है। इसमें वन्यजीवों की अहम भूमिका होती है। भारत में, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह हर साल 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 में लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के उद्देश्य से की गई थी।

जिन लोगों को जानकारी नहीं कि वन्य जीव सप्ताह क्यों मनाया जाता है, उनके लिए यह लेख बेहद उपयोगी होगा। यहां हम लोग प्वाइंट टू प्वाइंट समझेंगे कि आखिर हफ्ते भर तक हम लोग वन्य जीव सप्ताह मनाते क्यों हैः-

जागरूकता बढ़ानाः इस सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ताकि लोग वन्यजीवों और उनके संरक्षण के महत्व को समझ सकें। उन्हें उन वन्य जीवों के बारे में भी बताया जाता है जो पहले बहुतायत में थे और अब कम संख्या में रह गये हैं।

पारिस्थितिकी संतुलनः वन्यजीव प्रकृति में विभिन्न प्रक्रियाओं को स्थिरता प्रदान करते हैं। उनका संरक्षण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। इसे कैसे संतुलित बनाया जाए, इसकी भी चर्चा पूरे हफ्ते भर होती है।

विलुप्त प्रजातियों की रक्षाः यह सप्ताह में उन वन्यजीवों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करवाने का प्रयास होता है, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह लोगों को ऐसी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है।

वन्यजीव अपराध के विरुद्ध कार्रवाईः यह सप्ताह वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार जैसे अपराधों के प्रति लोगों को सचेत करता है। लोगों को बताया जाता है कि किन वन्य जीवों का कैसे शिकार किया जाता है और कैसे हम लोग शिकार करने वालों को शिकार करने से मना कर सकते हैं।

जैविक विविधता का संरक्षणः भारत एक समृद्ध जैव विविधता वाला देश है। वन्यजीव सप्ताह हमें इस जैविक विविधता के संरक्षण की आवश्यकता की याद दिलाता है।

दरअसल, वन्य जीव सप्ताह का उद्देश्य केवल एक सप्ताह तक सीमित नहीं है बल्कि यह साल भर वन्यजीवों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने और कार्य करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक हफ्ते का कालखंड हमें ज्यादा जिम्मेदार बनाने की गरज से, पूर्णतः वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए आयोजित होता है।

वन्य जीव सप्ताह के फायदे क्या हैं

आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि 1952 से लेकर अब तक हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह लगातार मनाया जाता रहा है। इस आयोजन में सरकार के खजाने से करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। इसका फायदा हमें अब तक क्या मिला। इसका जवाब बड़ा सामान्य है कि कोई भी आयोजन किया जाता है तो उसके उद्देश्य लक्षित होते हैं। इसी प्रकार वन्य जीव सप्ताह मनाने के भी लक्ष्य निर्धारित हैं। हम यहां प्वांइट टू प्वाइंट समझेंगे कि अब तक के आयोजनों से वन्य जीवों को क्या फायदा हुआः-

जन जागरूकता में वृद्धिः यह सप्ताह वन्यजीव संरक्षण के महत्व को आम जनता तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और प्रचार अभियानों के माध्यम से लोगों को वन्यजीवों, उनके आवास और उनसे जुड़े खतरों के बारे में जागरूक किया जाता है।

सार्वजनिक भागीदारी में वृद्धिः यह लोगों को संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे संरक्षण के काम में न सिर्फ सरकारी एजेंसियाँ, बल्कि आम नागरिक, गैर-सरकारी संगठन और शैक्षणिक संस्थान भी शामिल होते हैं।

बच्चों और युवाओं को शिक्षित करनाः वन्य जीव सप्ताह के दौरान स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे युवा पीढ़ी को वन्यजीवों के महत्व और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करने में मदद मिलती है।

नीति और सरकारी प्रयासों पर प्रभावः यह सप्ताह वन्यजीवों से जुड़ी चुनौतियों-जैसे अवैध शिकार, आवास का नुकसान और जलवायु परिवर्तन को सामने लाता है। यह सरकारों को वन्यजीव संरक्षण के लिए बेहतर नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित करता है।

लुप्तप्राय प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करनाः इस सप्ताह की शुरुआत ही लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के उद्देश्य से की गई थी। समय-समय पर यह विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।

पारिस्थितिक संतुलन के महत्व पर जोरः यह इस बात को रेखांकित करता है कि वन्यजीव पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बताता है कि वन्यजीवों को होने वाला कोई भी नुकसान पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन सकता है।

सहयोग के लिए मंचः यह सरकारी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों को एक मंच पर लाता है, जिससे वे वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम कर पाते हैं।

जिन वन्य जीव प्राणियों को वन्य जीव सप्ताह का सीधे या परोक्ष रुप से लाभ हुआ, उनमें ये जीव-जंतु शामिल हैः-

बाघः बाघ की जनसंख्या को बढ़ाने और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। इससे बाघों को लाभ हुआ है।

हाथीः भारत में हाथियों के झुंडों और उनके निवास स्थानों के संरक्षण के लिए नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व जैसे क्षेत्रों में कदम उठाए गए हैं। इससे हाथियों को भरपूर लाभ हुआ। उस इलाका विशेष में हाथी-मानव संघर्ष खत्म हो गये।

तेंदुएः तेंदुए के संरक्षण के लिए वन्य जीव सप्ताह के दौरान जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, वाइल्डलाइफ एसओएस जैसे संगठन तेंदुए और मानव के बीच संघर्ष को कम करने पर काम करते हैं, जिससे इन जानवरों को मदद मिलती है।

हिम तेंदुआः किर्गिज़स्तान में हिम तेंदुओं और जंगली बकरियों के संरक्षण के लिए एक सूक्ष्म-रिजर्व बनाया गया है, जिससे उनकी आबादी को बढ़ने में मदद मिली है। इनकी आबादी तीन गुना से ज्यादा बढ़ गई है।

गिद्धः गिद्धों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी प्रयास किए गए हैं। उनके निवास स्थानों की सुरक्षा और उन्हें हानिकारक रसायनों से बचाने का उपाय भी इसी कार्यक्रम की वजह से सामने आ सका।

लुप्तप्राय प्रजातियांः वन्य जीव सप्ताह की अवधारणा की शुरुआत ही 1952 में लुप्तप्राय और संकटग्रस्त पशु प्रजातियों के जीवन की रक्षा के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य भारत की किसी भी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना है। ■

जन जागरूकता में वृद्धिः यह सप्ताह वन्यजीव संरक्षण के महत्व को आम जनता तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और प्रचार अभियानों के माध्यम से लोगों को वन्यजीवों, उनके आवास और उनसे जुड़े खतरों के बारे में जागरूक किया जाता है।

झारखंड के जंगलों का संकट

बाघों की खामोशी, गिद्धों की आखिरी उड़ान

झारखंड हरा-भरा राज्य है जो केवल खनिजों और उद्योगों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी समृद्ध वन संपदा और जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहां के जंगल केवल पेड़-पौधों से भरे नहीं हैं, बल्कि ये जीवंत कहानियों से भरे हुए हैं। इनमें वन्यजीवों के संघर्ष और संरक्षण की आवश्यकता झलकती है।

वन्यजीवों की संकटपूर्ण स्थिति

पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में हाथियों का झुंड अक्सर दिखाई देता है। 2021 के वन्यजीव गणना के अनुसार राज्य में 679 हाथी, 5 बाघ और 73 तेंदुए हैं। हालांकि ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं; ये जंगलों में जीवों के संघर्ष की कहानी बयान करते हैं। पीटीआर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण में 50 से अधिक छोटी प्रजातियां जैसे जंगली कुत्ता, लोमड़ी और सियार भी देखी गई हैं, जो बड़े शिकारियों के चक्रव्यूह में फंसी हैं। झारखंड कभी बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध था। 1993 में राज्य में 134 बाघ थे, लेकिन 1997 तक यह संख्या घटकर केवल 30 रह गई। वन्यजीवों के संरक्षण की जरूरत अब पहले से कहीं अधिक

■ विद्या एस.

राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29 प्रतिशत हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, जो 23,716 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वन्यजीव सर्वेक्षण और राज्य जंगल विभाग की रिपोर्टों के अनुसार, झारखंड में 48 स्तनधारी प्रजातियां, 250 से अधिक पक्षी, 40 से अधिक सरीसृप और 20 से अधिक उभयचर प्रजातियां पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बियर (लंगूर), जंगली सूअर, गौर, चीतल, सांभर और हाइना प्रमुख हैं।

महत्वपूर्ण है। अब तो एक या दो बाघ ही हैं।

संकटग्रस्त प्रजातियां

राज्य की सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में व्हाइट-रुम्प्ड वल्चर शामिल है, जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में 'क्रिटिकली एंडेंजर्ड' श्रेणी में आता है। झारखंड में गिद्धों की संख्या घटकर 200 से कम रह गई हैं। प्रमुख कारणों में डाइक्लोफेनाक जैसी दवाओं का इस्तेमाल है, जो मृत पशुओं के माध्यम से गिद्धों को मार देती हैं। 2022 के सर्वे में कोडरमा में केवल 38 गिद्ध देखे गए थे, जो 2024 में बढ़कर 145 हो गए।

स्लॉथ बियर भी वल्नरेबल श्रेणी में है और अक्सर मानव-वन्यजीव संघर्ष में फंसती है। सारंडा के जंगलों में वनकर्मी घायल गिद्धों और अन्य प्रजातियों को बचाने में दिन-रात जुटे रहते हैं। ये गिद्ध जंगल के सफाईकर्मी हैं और इन्हें बचाना पारिस्थितिक संतुलन के लिए जरूरी है।

संरक्षण और भविष्य की दिशा

झारखंड सरकार और विभिन्न एनजीओ वन्यजीव संरक्षण के लिए कई पहल कर रहे हैं। हाथी, बाघ और स्लॉथ बियर जैसी बड़ी प्रजातियों के लिए संरक्षित क्षेत्र और प्रजनन कार्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही मानव-वन्य जीव संघर्ष कम करने के लिए गांवों में जागरूकता अभियान और इको-टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है।

झारखंड के जंगल सिर्फ पर्यटन स्थल या खनिज संसाधन नहीं हैं। ये उन जीवों का घर हैं जो इस ग्रह की जैव विविधता को बनाए रखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हमें याद दिलाता है कि वन्यजीवों और जंगलों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो कई संकटग्रस्त प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है।

एक नजर में झारखंड के वन्यजीव और संरक्षण की स्थिति

- राज्य का लगभग 29% हिस्सा जंगलों से आच्छादित है।
- 48 स्तनधारी, 250 से ज्यादा पक्षी, 40 से ज्यादा सरीसृप और 20 से ज्यादा उभयचर प्रजातियां यहां हैं।
- 36 प्रजातियां आईयूसीएन (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर) की लाल सूची में संकटग्रस्त हैं।
- हाथियों की संख्या 679, बाघ एक या दो और तेंदुए 73 हैं।
- व्हाइट-रुम्प्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड; संख्या घटकर 200 से कम रह गई है।
- स्लॉथ बियर वल्नरेबल, मानव-वन्यजीव संघर्ष में फंसती है।
- संरक्षण, पर्यटन और जागरूकता कार्यक्रम जारी हैं। ■

कोल्हानः खामोश हैं जंगल

कोल्हान प्राकृतिक संपदा का खजाना है। यहां के घने साल जंगल, जो पोराहाट और सारंडा तक फैले हैं, विविध वन्यजीवों का आश्रय हैं। लेकिन 2025 की जंगल विभाग और आईयूसीएन की रिपोर्ट्स के अनुसार, यहां 20 से अधिक संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जिनकी संख्या तेजी से घट रही है। मुख्य कारण वनों का क्षरण, अवैध खनन, शिकार और मानव-वन्यजीव संघर्ष हैं।

सबसे प्रमुख संकट एशियाई हाथी को है। आईयूसीएन की लाल सूची में एंडेंजर्ड श्रेणी में आने वाला यह प्राणी कोल्हान के

जंगलों में 200 से अधिक की आबादी के साथ मौजूद है। लेकिन 2024-25 में मानव-हाथी संघर्ष में 15 से अधिक मौतें हुईं। खनन गतिविधियों ने हाथियों के प्राकृतिक कॉरिडोर को बाधित कर दिया, जिससे वे खेतों और गांवों में घुस आते हैं। पोड़ाहाट वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों की संख्या 150 के आसपास है, लेकिन वनों की कटाई ने उनके आवास को 30% कम कर दिया।

स्लॉथ बियर (भालू), जो वल्नरेबल श्रेणी में है, भी गंभीर खतरे में है। कोल्हान के शुष्क जंगलों में ये शहद और फलों पर निर्भर हैं, लेकिन शिकार और आवास हानि से उनकी संख्या 100 से कम रह गई। 2023 के सर्वे में पाया गया कि अवैध शिकार ने 20% भालू को प्रभावित किया। तेंदुआ, जो लिस्ट कंसर्न में है, लेकिन स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त, यहां 50 से अधिक हैं। सारंडा के जंगलों में तेंदुओं का शिकार आम बात है और 2022-24 के बीच 10 तेंदुए मारे गए।

गिद्ध प्रजातियां, विशेषकर व्हाइट-रुम्प्ड वल्चर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। कोल्हान में इनकी संख्या 50 से घटकर 20 रह गई। डाइक्लोफेनाक जैसी दवाओं का इस्तेमाल मृत पशुओं के माध्यम से इन्हें जहर देता है। ये इकोसिस्टम के सफाईकर्मी हैं और इनकी कमी से बीमारियां फैल सकती हैं। अन्य संकटग्रस्त प्राणी हैं इंडियन फ्लैपशेल टर्टल (वल्नरेबल), जो नदियों के प्रदूषण से प्रभावित, और ब्लैक-हेडेड इबिस जैसे पक्षी, जिनके दलदली आवास खनन से नष्ट हो रहे हैं।

झारखंड में कुल 36 संकटग्रस्त पशु प्रजातियां हैं, जिनमें कोल्हान का योगदान 60% है। 2025 के वन्यजीव गणना में पाया गया कि मानव-वन्य संघर्ष में राज्य तीसरे स्थान पर है, जिसमें कोल्हान के 40% मामले हैं।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मिता पंकज की मानें तो हर साल जंगलों की समीक्षा की जाती है। उसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी जाती है। वन्यजीव और जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए योजना बनाई जाती है। वन क्षेत्रों की सैटेलाइट से निगरानी भी की जाती है। हाल के दिनों में बहुत सारी समस्याओं को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। वनकर्मियों की कमी हैं, जिसके चलते विभाग को काफी मशक्कत करना पड़ता है। आने वाले दिनों में वनकर्मियों की समस्याएं भी दूर हो जाएगी। ■

दीपावली पर पटाखेबाजी

हरे पटाखे और दीपावली का प्रदूषण

■ मानस रंजन सेनापति

हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण दीपावली के समय पटाखे या आतिशबाजी जलाने से होता है। इसके अलावा, पटाखे जलाने के दौरान जहरीले रसायन छोड़ते हैं इससे निश्चित रूप से लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका में आतिशबाजी से वायुमंडल में लगभग 60,340 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो लगभग 12,000 कारों के वार्षिक कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। पिछले वर्षों में देखा गया है कि दीपावली के बाद दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 'गंभीर' हो जाता है। इसके अलावा, पटाखे जलाने के हानिकारक प्रभाव दिन के उजाले के बाद कई दिनों तक बने रहते हैं। आतिशबाजी के दौरान, धातु के लवण और विस्फोटक एक रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं जो धुएं के रूप में कई जहरीले रसायनों को वातावरण में छोड़ता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल हैं जो दुर्भाग्य से जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।

आतिशबाजी अत्यधिक जहरीली गैसें और प्रदूषक पैदा करती है जो हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करती हैं, जो पक्षियों, वन्यजीवों, पालतू जानवरों, वन्यजीवों और मनुष्यों के लिए हानिकारक हैं। यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और हार्मोनल असंतुलन का कारण बनता है। इसकी तुलना में, हरे पटाखे पर्यावरण के अनुकूल आतिशबाजी हैं और पारंपरिक पटाखे के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं।

इन्हें वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा विकसित किया गया है। इन हरे पटाखे में फूल के बर्तन, पेंसिल, फुलझड़ियाँ, मैरून, बम और चाक शामिल हैं और इन्हें राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), सीएसआईआर प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। ये पटाखे पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित हैं।

ऐसा लगता है कि हवा की गुणवत्ता हर साल कम हो रही है और सर्दियों के दौरान कोहरे की तरह दिखने वाला स्मॉग (धुआं और कोहरा) बढ़ रहा है। यह भी याद रखना चाहिए कि पटाखों के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें आग लगने की घटनाओं में बच्चों और बड़ों की मौत हो चुकी है।

हरे पटाखे के उत्पादन से ऐसी दुर्घटनाओं को भी कम किया जा सकता है। पारंपरिक पटाखे

अत्यधिक विषैले रसायनों (सामग्री और धातु) से बने होते हैं जो जलने पर हवा में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के स्तर को बढ़ाते हैं। पीएम 2.5 कण मनुष्यों को प्रभावित करते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं बहुत बारीक कण गले में प्रवेश करते हैं और फेफड़ों में प्रवेश करते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक गंभीर प्रभाव पड़ता है प्रदूषण का इतना उच्च स्तर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। हरे पटाखे में बेरियम नाइट्रेट नहीं होता है जो पारंपरिक अरारोट में मौजूद सबसे खतरनाक घटक है। ग्रीन पटाखे मैग्नीशियम और बेरियम के बजाय पोटेशियम नाइट्रेट और एल्यूमीनियम जैसे वैकल्पिक रसायनों का उपयोग करता है और आर्सेनिक और अन्य हानिकारक प्रदूषकों के बजाय कार्बन का उपयोग करता है। नियमित पटाखे 160-200 डेसिबल के बीच ध्वनि उत्सर्जित करते हैं, जबकि हरे पटाखे लगभग 100-130 डेसिबल तक सीमित होते हैं। ये पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं हैं लेकिन नियमित पटाखे की तुलना में काफी कम प्रदूषक हैं लेकिन इन सभी फायदों के साथ, हरे पटाखे का सबसे बड़ा मुश्किल यह है कि केवल उन निर्माताओं को ही इन पटाखे का उत्पादन करने की अनुमति होगी जिनका सीएसआईआर के साथ समझौता है।

ग्रीन पटाखे बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती हैं इसलिए वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। भारत का लगभग सत्तर प्रतिशत पटाखे का उत्पादन तमिलनाडु के शिवकाशी में होता है, जो भारत में हरी पटाखे का अग्रणी आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन पटाखे विकसित किया गया है और यह स्वागत योग्य है। हालांकि सुंदर और आनंददायक, आतिशबाजी आमतौर पर वातावरण को प्रदूषित करती है, इसलिए यह मनोरंजन का हरित विकल्प नहीं हो सकता है। ■

छठ पूजा: सूर्य, नदियों और समुदाय का उत्सव

जैसे-जैसे समुदाय सूर्य और नदियों का सम्मान करने के लिए एकत्र होते हैं, आधुनिक चुनौतियाँ हमारे बदलते समाज और पर्यावरण के आलोक में छठ पूजा की भावना पर प्रश्न उठाती हैं...

■ शरत चंद्र प्रसाद

"केलवा के पात पर उगलन सूरज माल झूम के,
सरवरिया में डुबकी लगवाले अरघ दिही हम गरीब के।"
"केले के पेड़ के पत्तों पर, सूरज खुशी से उगता है,
नदी में डुबकी लगाकर हम अपनी पूरी श्रद्धा अर्पित करते हैं।"

उत्तर भारत में सर्द हवाओं के साथ, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में परिवार छठ पूजा के दौरान सूर्य और नदियों का सम्मान करने के लिए एकत्रित होते हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रकृति के प्रति सम्मान के लिए मनाया जाने वाला यह प्रिय हिंदू त्योहार, फसल कटाई के मौसम के अंत और सर्दियों के आगमन का प्रतीक है।

छठ पूजा चार दिनों तक चलती है। पहले दिन, नहाय खाय में नदियों या तालाबों में पवित्र स्नान और सादा भोजन किया जाता है। दूसरे दिन, खरना , पूरे दिन का उपवास होता है, जिसका समापन गुड़ की खीर (गुड़ से बनी मीठी खीर) और रोटी के भोजन के साथ होता है । तीसरे दिन, संध्या अर्घ्य , डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए समर्पित है, जबकि अंतिम दिन, उषा अर्घ्य, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए है।

दरभंगा के पास के एक बुजुर्ग ग्रामीण कहते हैं, "मैं बचपन से ही छठ पूजा मनाता आ रहा हूँ। मुझे याद है जब मेरी माँ ज़िंदा थीं, हम इस त्यौहार की बड़ी उत्सुकता से तैयारी करते थे। मैं और मेरा भाई एक महीने पहले से ही नदी के किनारे की सफ़ाई कर देते थे। गाँव के लोग भी इसमें शामिल होते थे। नदी के किनारे की सफ़ाई करते

हुए सारे विवाद सुलझा लिए जाते थे।"

वे दुःखी होकर कहते हैं, "अब तो लोग पूजा वाले दिन ही घाट पर पहुँच जाते हैं। कुछ लोग घाट को सुंदर बनाने के लिए मज़दूरों को काम पर रखते हैं, जबकि वे ख़ुद कोई काम नहीं करते। छठ पूजा का यह मतलब कभी नहीं था।" उनके अनुसार, नदी के किनारे की तैयारी सिर्फ़ एक शारीरिक काम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि थी, समुदाय के एकजुट होने और अपने मतभेदों को भुलाने का एक तरीक़ा। त्योहार के दौरान की जाने वाली प्रार्थनाओं जितनी ही उत्सुकता और तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी।

नदियाँ: स्थिरता से प्रदूषण तक

छठ पूजा का सार मानव और प्रकृति के बीच के संबंध

में निहित है, फिर भी समय के साथ इस त्योहार में सूक्ष्म बदलाव आए हैं। परंपरागत रूप से इस उत्सव में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियाँ पर्यावरण के अनुकूल होती थीं—जैसे बाँस की टोकरियाँ, मिट्टी के दीये और सीधे प्रकृति से प्राप्त प्रसाद। हालाँकि, हाल के वर्षों में, इस उत्सव में आधुनिकीकरण का प्रवेश हो गया है। प्लास्टिक की सजावट, सिंथेटिक प्रसाद और यहाँ तक कि पटाखे भी आम हो गए हैं, जिससे इस त्योहार की पर्यावरणीय स्थिरता कम हो रही है।

यह बदलाव बिना किसी दुष्परिणाम के नहीं आया है। पर्यावरणविदों ने इस बात पर चिंता जताई है कि कैसे यह त्योहार, जो कभी स्थिरता का एक आदर्श था, धीरे-धीरे प्रदूषण में योगदान दे रहा है। जल सुरक्षा पर काम करने वाले एक विशेषज्ञ कहते हैं, "छठ पूजा एक खूबसूरत त्योहार है जो समुदायों को एकजुट करता है, लेकिन इसका ध्यान अक्सर अल्पकालिक होता है। लोग त्योहार के लिए नदियों की सफाई करते हैं, लेकिन बाद में, वही नदियाँ उपेक्षित और प्रदूषित हो जाती हैं।"

श्रद्धा और प्रतिबंधों का परस्पर संबंध

वर्षों से, यह त्यौहार एक कर्तव्य में भी बदल गया है जिसे निभाना महिलाओं के लिए अनिवार्य हो गया है, खासकर अपने परिवार और बच्चों की भलाई के लिए। मूल रूप से, यह महिलाओं के लिए विवाह के बाद अपने पैतृक गाँव लौटने पर परिवार और दोस्तों के साथ एक साथ आने और उनसे जुड़ने का अवसर था। यह पुनर्मिलन, रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों से कुछ समय के लिए मुक्ति, हँसी-मज़ाक और उत्सव का माहौल प्रदान करता था। हालाँकि, समय के साथ, इस त्यौहार के साथ, खासकर महिलाओं के लिए, कुछ अतिरिक्त रीति-रिवाज़ और अपेक्षाएँ भी जुड़ गई हैं।

आज, पवित्रता और उपवास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कड़े नियम हैं कि कौन भाग ले सकता है और कैसे। छठ व्रत रखने वाली महिलाओं को पवित्रता की गहरी भावना का पालन करना होता है, भोजन और जल से परहेज करना होता है, जबकि "शुद्ध" और "अशुद्ध" की सामाजिक धारणाएँ और भी कठोर हो गई हैं। उदाहरण के लिए, मासिक धर्म वाली महिलाओं को अक्सर रसोई में प्रवेश करने या अनुष्ठानों में भाग लेने से रोक दिया जाता है, जिससे सामाजिक विभाजन और गहरा होता है। छठ में जातिगत गतिशीलता भी गहराई से समाई हुई है। प्रत्येक जाति समूह के अनुष्ठानों के लिए अपना निर्दिष्ट घाट या नदी तट क्षेत्र होता है और उच्च जातियों के घाट अक्सर सबसे विस्तृत रूप से सजाए जाते हैं। यह वास्तविकता हमारे समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को स्पष्ट रूप से उजागर करती है, यहाँ तक कि सद्भाव के प्रतीक त्योहारों के दौरान भी।

दरभंगा ज़िले के एक गाँव, हयाघाट सौजौती में , लोग छठ पूजा की तैयारी स्थिरता पर ज़ोर देते हुए करते हैं। एक ग्रामीण ने बताया: मैं और मेरा परिवार पीढ़ियों से छठ पूजा सादगी और स्वाभाविकता के साथ मनाते आ रहे हैं। वे प्लास्टिक और कृत्रिम सजावट से परहेज करते हैं, तथा केले के पत्ते, बांस की टोकरियाँ, गन्ना और ठेकुआ (सूर्य को अर्पित की जाने वाली मिठाई) जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करते हैं।

फिजूलखर्ची पर सादगी

इसमें भव्य प्रदर्शनों के बजाय आध्यात्मिक संबंध और सामुदायिक बंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक ग्रामीण ने बताया: हमारे लिए छठ का मतलब प्रकृति का सम्मान करना और एक-दूसरे से जुड़े रहना, बिना किसी दिखावे के, सभी के लिए सुलभ वस्तुओं का उपयोग करना है। त्यौहार के अलावा, निवासी सक्रिय रूप से अपने आस-पास के वातावरण का रखरखाव भी करते हैं। छठ पूजा से एक महीने पहले, वे स्थानीय तालाब की सफाई करते हैं, ताकि वह साल भर प्रदूषण मुक्त रहे। यह परंपरा उनकी आस्था और पर्यावरण दोनों के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कभी मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का उत्सव मनाने वाला यह पर्व अब आधुनिक चुनौतियों और कठोर लैंगिक भूमिकाओं का सामना कर रहा है। जहाँ एक ओर पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं—जैसे प्लास्टिक पर प्रतिबंध और प्राकृतिक सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना—तो वहीं छठ पूजा का सार उत्सव के चार दिनों से आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए पर्यावरणीय संरक्षण और दैनिक जीवन में समानता के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। जैसे-जैसे यह पर्व विकसित होता है, प्रत्येक पीढ़ी को छठ के पर्यावरणीय सार को संरक्षित करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका संदेश—सूर्य, नदियों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता—प्रतिध्वनित होता रहे। ■

विश्व गिब्बन दिवस (24 अक्तूबर) पर विशेष

कहीं गायब न हो जाएं सबसे बुद्धिमान वानर

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

गिब्बन दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। इन्हें सभी वानरों में सबसे छोटे एवं समझदार वानरों के रूप में भी जाना जाता है। इनमें अन्य वानरों के समान उच्च बुद्धि, विशिष्ट व्यक्तित्व और मज़बूत पारिवारिक बंधन होते हैं। ये विश्व भर में पाई जाने वाली 20 गिब्बन प्रजातियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जनसंख्या और निवास स्थानः हूलॉक गिब्बन की वर्तमान आबादी लगभग 12,000 होने का अनुमान है। वे पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्याँमार और दक्षिणी चीन के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

भारत में गिब्बन प्रजातियाँः भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दो अलग-अलग हूलॉक गिब्बन प्रजातियाँ पाई जाती हैंः पूर्वी हूलॉक गिब्बन (हूलॉक ल्यूकोनिडिस) और पश्चिमी हूलॉक गिब्बन (हूलॉक हूलॉक)। हैदराबाद में सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) के एक हालिया अध्ययन में इन गिब्बन के आनुवंशिकी का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से पता चला कि वास्तव में भारत में गिब्बन की केवल एक ही प्रजाति है, जो बाह्य आवरण के रंग के आधार पर अलग-अलग पूर्वी और पश्चिमी प्रजातियों की पूर्व धारणा को रद्द करती है। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला कि पूर्वी और पश्चिमी हूलॉक गिब्बन समझी जाने वाली आबादी लगभग 1.48 मिलियन वर्ष पहले अलग हो गई थी। अध्ययन में यह भी अनुमान लगाया गया कि गिब्बन लगभग 8.38 मिलियन वर्ष पहले एक सामान्य पूर्वज से अलग हुए थे।

खतराः संरक्षण चुनौतियों के कारण हूलॉक गिब्बन सहित सभी 20 गिब्बन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। पिछली सदी से गिब्बन की आबादी और उनके आवासों में काफी गिरावट आई है, जिससे उनकी बहुत कम आबादी केवल उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक ही सीमित रह गई है। भारत में हूलॉक गिब्बन के लिये प्राथमिक खतरा बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये वनों की कटाई के कारण उनके प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है।

संरक्षण की स्थितिः अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में शामिल है। पश्चिमी हूलॉक गिब्बन अब लुप्तप्राय हैं। पूर्वी हूलॉक गिब्बन की स्थिति असुरक्षित है। साथ ही दोनों प्रजातियाँ भारतीय (वन्यजीव) संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं। ■

विश्व लीमर दिवस (अक्तूबर का आखिरी हफ्ता) पर विशेष

98 फीसदी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

विश्व लीमर दिवस अक्टूबर के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। जबकि दुनिया भर में विश्व लीमर महोत्सव पूरे अक्टूबर में मनाया जाता है। लीमर की 98 फीसदी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं और 31 फीसदी गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, इसलिए अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। लीमर के पूर्वज 6.5 करोड़ साल पहले अफ्रीकी मुख्य भूमि से मेडागास्कर पहुंचे थे। जीव विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए विकसित और उनके अनुकूल हुए, जिसके परिणामस्वरूप लीमर की एक विविध श्रृंखला विकसित हुई जो विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं। सिम्पोना या रेशमी सिफाका (प्रोपिथेकस कैंडिडस) जैसे लीमर केवल उत्तरी मेडागास्कर के भारी ऊंचाई वाले वर्षावनों में रहते हैं। माकी और लीमूर कट्टा मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिमी मेडागास्कर के कांटेदार जंगलों में रहते हैं और अलाओत्रा झील हापलेमूर अलाओत्रा झील के दलदल और बांस में रहते हैं।

अब विश्व लेमर दिवस के लिए उत्साह बढ़ गया और इस कार्यक्रम को दुनिया भर के संगठनों, व्यक्तियों और चिड़ियाघरों द्वारा मनाया जाता है। हर साल इस कार्यक्रम का असर बढ़ता गया, जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और दुनिया भर के कई अन्य हिस्सों में इसको लेकर कार्यक्रम किए जाते हैं।

विश्व लीमर दिवस हर साल मनाया जाने वाला एक रोमांचक कार्यक्रम रहा है जिसमें लाइव इवेंट के साथ-साथ वर्चुअल अभियान भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने न केवल जागरूकता बढ़ाई है बल्कि लीमर की सुरक्षा और देखभाल में मदद करने के लिए वित्तीय योगदान भी दिया है। हर साल इन आयोजनों को दर्शाने के लिए एक नया लोगो चुना जाता है, जिसमें प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा लीमर की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। लीमर विलुप्त होने के खतरे में हैं और सभी लीमर प्रजातियों में से 31 फीसदी अब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' के रूप में दर्ज हैं।

लगभग 2,000 साल पहले, मेडागास्कर में प्रकृति का दोहन तब शुरू हुआ जब मनुष्य यहां आए। कोयला खनन, अवैध कटाई और स्लैश-एंड-बर्न कृषि के कारण जंगलों को काटे जाने और लीमर के लिए आवास का बड़ा नुकसान हुआ। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार, 1950 के दशक से, मेडागास्कर ने अपने प्राकृतिक जंगलों का 44 फीसदी हिस्सा खो दिया है और 2001 से 2019 के बीच, देश ने 38.9 लाख हेक्टेयर जंगल गायब हो गया है, जो 2000 से 23 फीसदी की कमी को सामने लाता है।

लीमर की आबादी में गिरावट जारी है क्योंकि उनका मांस के लिए शिकार किया जाता है और लोगों और संस्थानों द्वारा उन्हें अवैध रूप से पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है। लीमर की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं और किसी भी अपराध के लिए छह महीने से 20 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। लीमर पर जलवायु संकट का भारी असर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जब ये प्रजातियां अपने मूल प्राकृतिक वातावरण को छोड़ती हैं, तो उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 2070 में ग्लोबल वार्मिंग के कारण लीमर के 95 फीसदी आवास नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये जगहें रहने के लिए बहुत गर्म हो जाएंगी। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की एक रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि अगर 2100 तक वैश्विक तापमान दो से चार डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो लीमर की 57 प्रजातियों की आबादी में 60 फीसदी की कमी आएगी। ■

अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस पर खास

असुरक्षित स्थानों पर रहते हैं हिम तेंदुए

■ युगांतर प्रकृति नेटवर्क

हिम तेंदुओं के संरक्षण और उनकी लुप्तप्राय स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इस विशेष दिन का उद्देश्य इस मायावी और राजसी बड़ी बिल्ली की रक्षा के महत्व को सामने लाना है, जो मध्य और दक्षिण एशिया की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती है।

हिम तेंदुओं को आज अलग-अलग कारणों से खतरा है, जिसमें निवास स्थान का नुकसान, अवैध शिकार और प्रतिशोध या बदले में हत्याएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने और इस प्रतिष्ठित प्रजाति के लंबे समय तक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस की स्थापना हिम तेंदुओं के समक्ष संरक्षण संबंधी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इस लुप्तप्राय प्रजाति और इसके नाजुक पर्वतीय आवासों की रक्षा के लिए दुनिया भर में चल रहे प्रयासों की जरूरत पर प्रकाश डालने के लिए की गई थी।

यह दिन हिम तेंदुओं के संरक्षण पर 12 देशों द्वारा बिश्केक घोषणा को अपनाने के साथ अस्तित्व में आया। हिम तेंदुओं को बचाने के प्रयासों ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में गति पकड़ी, जब विभिन्न संरक्षण संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय पहलों और सरकारी प्रतिबद्धताओं का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य इस प्रजाति और इसके अनोखे अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना था।

अपने निवास क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखने में हिम तेंदुओं द्वारा अहम भूमिका निभाई जाती है। इस दिन सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण के काम को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में नामित करने में योगदान दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2024 का थीम "भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुओं के आवासों की सुरक्षा करना" है। यह थीम हिम तेंदुओं के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देता है ताकि उनके अस्तित्व और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके।

हिम तेंदुए आमतौर पर समुद्र तल से 540 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। हिम तेंदुओं को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) द्वारा रेड लिस्ट में दुनिया भर में खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

भारत सरकार द्वारा अन्य गैर-लाभकारी संगठनों के सहयोग से 30 जनवरी 2024 को जारी की गई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मात्र 718 हिम तेंदुए हैं, जिनमें से केवल एक तिहाई ही कानूनी संरक्षण में हैं। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हिम तेंदुए के 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के आवास का बमुश्किल 34 फीसदी हिस्सा ही कानूनी रूप से संरक्षित है। इस शिकारी के 70 फीसदी से भी कम आवास हैं जो असुरक्षित हैं।

रिपोर्ट ने भारत में 400-700 हिम तेंदुओं के पूर्व अनुमान में सुधार करके आकलन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जबकि दुनिया भर में इनकी संख्या लगभग 4,000-7,500 है। ■

विदेशी हमारे यहां संगीत को मेडिटेशन मान रहे हैं, सीख रहे हैं और हम हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं

मेरा नाम देबप्रिय ठाकुर है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय प्रशांत ठाकुर है। वे यहां के नामी सितारवादक थे। जहां तक पढ़ाई की बात है, मेरी पढ़ाई जेबीएम श्यामली से हुई। उसके बाद मास्टर्स मेरा बीआईटी मेसरा से हुआ। यहां पर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब (2001 तक) म्यूजिक की पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। रांची यूनिवर्सिटी में म्यूजिक की कोई पढ़ाई नहीं होती थी तब। केवल वीमेंस कॉलेज में म्यूजिक की पढ़ाई होती थी। उस समय अगर हमें म्यूजिक में पढ़ाई करनी होती तो बीएचयू से करते या फिर शांति निकेतन से। फिर बाद में म्यूजिक की पढ़ाई करने का मौका लगा, तब रांची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट खुला मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का। मैंने बाआईटी मेसरा से एमबीए और बाद में रांची यूनिवर्सिटी से मास्टर किया परफॉर्मिंग आर्ट्स में।

मैंने एमबीए करने के बाद नौकरी की। पहले मैं एचडीएफसी लाइफ में था। उसके बाद काफी वर्ष एक जर्मन कंपनी में था।

हमारा जो खानदान है, वह संगीत से जुड़ा हुआ है। मेरे फादर के मामा घर की ओर सभी म्यूजिशियन हैं। हम लोगों का जो पैतृक स्थान है, वह विष्णुपुर बंगाल है। हम लोग विष्णुपुर घराने से संबद्ध हैं। मेरे पिताजी बचपन में ही ताउजी के साथ रांची आ गए थे। मेरा जन्म-कर्म सब रांची में हुआ है। अभी भी रांची में ही हूं।

हमारे घर में वाद्य यंत्रों में सितार ही प्रचलित है। एक फैमिली ट्रेडीशन है। करीब 10 साल की उम्र से सितार बजा रहा हूं। सास्त्रीय शिक्षा पिताजी ने ही दी। आज भी मैं सीख रहा हूं। मेरे गुरुजी का नाम है समन्वय सरकार। वह नामी सितारवादक हैं कलकता के।

रागों को लेकर मैं कभी परेशान नहीं रहा। हर राग में सितार बजाता हूं। राग बागेश्वरी मेरे काफी निकट है। राग बागेश्वरी मध्य रात्रि का राग है। राग देश में भी बजाता हूं।

जो कोई भी सितार बजाता है, उसे गाने की समझ बहुत जरूरी है। वादन में क्या होता है कि जो आप गाना मन में गा रहे हैं लेकिन हाथ सितार पर चल रहा होता है। जो साउंड ऑफ मोड है, वह गले की बजाय हाथ से निकल रहा होता है। बज वही रहा होता है। तो जो कोई भी सितार वादक हो, गिटार वादक हो, वह गा नहीं पायेगा तो बजा भी नहीं पायेगा। मैं माइक पर कभी-कभार गाता हूं। प्राइमरी तो सितार ही है। जब जरूरत पड़ती है, तो गाते हैं।

मैं पिछले साल राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या गया था। उसमें मैंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया था। मेरा एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें 25 म्यूजिशियन्स का ग्रुप था। 25 में सभी डिफरेंट स्टेट से थे। सभी

का अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट था। सितार में मैं झारखंड से था। वह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और लाइफ टाइम अचीवमेंट था।

कई विभिन्न जगहों पर गया हूं। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सितार बजाया है। दिल्ली के इंडिया हैबीटेट सेंटर में सितार बजाया हूं। प्रगति मैदान दिल्ली में 2005-2006 में परफार्म किया है। मुंबई में नेशनल सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट में भी बजाया है।

सच पूछिए आनंद जी तो अबका माहौल बहुत बदल गया है। पहले एक तरह की रूचि थी लोगों में संगीत सुनने की। आज चेंज हुआ है। मान लेते हैं कि कोई गिटार सीख रहा है या वह ड्रम सीख रहा है तो तबला में रूचि कम हो रही है। कोई इंस्ट्रूमेंट को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इंस्ट्रूमेंट अपने आप में आइडेंटिटी है। चाहे आप कुछ भी बजा रहे हों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी लेकिन जो इंडियन क्लासिकल म्युजिक होता है वह सबकी आत्मा है। वह म्यूजिक का ग्रामर है। ग्रामर कोई सीखता है तो उसका इफेक्ट अलग होता है। आप कोई भी गजल गायक को देख लीजिए, आपको लगेगा वह क्लासिकल का मास्टर पीस है। उसके बाद वह गजल गा रहा है। जब तक आप क्लासिकल का अभ्यास नहीं कीजियेगा आपका गला मूव ही नहीं करेगा।

आप परफॉर्म कीजिए। जो पैसा आ रहा है, उसका टैक्स दीजिए। बाकी कुछ नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक तो बिजनेस नहीं करता है। वह लाइवलीहुड है। उसको अगर आप कैरियर प्वाइंट से देखियेगा तो वह सितार में अच्छी जगह से एमए करे। सितार एंड परफॉर्मिंग आर्ट में जाए, उसे पढ़े। उसके बाद नेट क्लीयर करे, पीएचडी करे। यह एक जॉब ओरियेंटेड लाइन है। फिर परफॉर्म करे या प्राइवेट टीचिंग करे, अपना इंस्टीट्यूट खोल ले, लोगों को सिखाये। रेलवे में खेल कोटा भी होता है लेकिन पांच साल में एक पद होगा। स्पोर्ट्स कोटा की तरह कल्चरल कोटा वगैरह कुछ नहीं होता है। यह एक बहुत बड़ा डिमेरिट कह सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई पीएसयू है। वह स्पोर्ट्स कोटा में 15 लोगों को रिक्रूट करता है, लेकिन वह कल्चरल कोटा में किसी आर्टिस्ट वगैरह को तो रिक्रूट नहीं करेगा। इसे लेकर बातचीत होनी चाहिए।

सच पूछें तो हमलोग ही अपनी संस्कृति को ढीला छोड़ रहे हैं। हमलोगों के हाथ में जो कुछ भी है, उसकी कद्र नहीं। हाल ही में मैं बनारस गया था। वहां देखा कि विदेशी वहां पर तबला सीख रहे हैं, गाना सीख रहे हैं। बाहर से लोग आकर सीख रहे हैं लेकिन हमलोगों की रूचि नहीं है। विदेशी लोग संगीत को मेडिटेशन के हिसाब से ले रहे हैं, पूजा के हिसाब से ले रहे हैं, म्यूजिक थैरेपी की तरह ले रहे हैं और हमलोग क्या कर रहे हैं कि बाहर की चीजों को एडॉप्ट करके उल्टी-पुल्टी बातें कह रहे हैं। इस गंदी आदत को हमें त्यागना पड़ेगा।

(**देवप्रिय ठाकुर** से प्रधान संपादक **आनंद सिंह** की बातचीत पर आधारित)

गौर से पढ़िए
युगांतर प्रकृति
हमारे 20 सवालों के जवाब दीजिए
और, पाइए आकर्षक पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार-501 रुपये नकद

द्वितीय पुरस्कार-351 रुपये नकद

तृतीय पुरस्कार-251 रुपये नकद

नियम और शर्तें

1. आपको युगांतर प्रकृति का यह अंक बेहद गौर से पढ़ना है।
2. इसी अंक में प्रकाशित विभिन्न लेखों से हम 20 सवाल करेंगे। उन 20 सवालों के जो सही-सही जवाब देंगे, उन्हें नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
3. अगर 20 में से 20 सवालों के सही जवाब कई लोग देते हैं तो पुरस्कार उन्हें मिलेगा, जिनका जवाब सबसे पहले आएगा। यानी, जो पहले जवाब देंगे, वो पुरस्कार के हकदार होंगे।
4. जवाब सिर्फ ई-मेल के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे। ई-मेल आईडी है yugantarprakriti@gmail.com
5. कृपया अपनी प्रविष्टि के साथ अपना नाम, घर का पूरा पता, मोबाइल नंबर, एक रंगीन फोटो, बैंक खाता अथवा यूपीआई आईडी अथवा क्यूआर कोड अवश्य भेजें।
6. विजेताओं को धनराशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी और अगले अंक में उनकी तस्वीर के साथ उनके नाम की घोषणा की जाएगी।
7. इस प्रतियोगिता में कोई भी हिस्सा ले सकता है। उम्र, लिंग का कोई बंधन नहीं है।
8. इस प्रतियोगिता में युगांतर प्रकृति परिवार के सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते।
9. निर्णायक का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। उसे किसी भी सूरत में, कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

पढ़ो और पुरस्कार पाओ

1. ऊर्जा के कितने स्त्रोत हैं?
2. दीपावली में प्रदूषण क्यों और कैसे बढ़ता है?
3. ग्रीन पटाखे प्रदूषण बढ़ाते हैं, कम करते हैं या कुछ भी नहीं करते?
4. सामान्य पटाखे और ग्रीन पटाखे में क्या फर्क है?
5. अब छठ में किस प्रदूषक तत्व का समावेश हो रहा है?
6. दुनिया का वो कौन सा देश है जो बहुत ही तेजी से गर्म हो रहा है?
7. सारंडा को वन्य अभ्यारण्य घोषित करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?
8. सारंडा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने किसे जेल में डालने की चेतावनी दी है?
9. सारंडा वन्य क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है?
10. सारंडा वन्य क्षेत्र में कुल कितनी पहाड़ियां हैं?
11. बोतलबंद पानी पीने से हर साल हम लोग कितने माइक्रोप्लास्टिक कण निगल रहे हैं?
12. माइक्रोप्लास्टिक कण क्या हैं और ये हमारे जीवन के लिए घातक कैसे हैं?
13. सबसे बुद्धिमान वानर की उपाधि किसे दी जाती है?
14. भारत में गिब्बन किन क्षेत्रों में पाये जाते हैं?
15. श्रीराम मंदिर (अयोध्या) निर्माण कार्यक्रम में झारखंड के किस कलाकार को मौका मिला था? वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं?
16. वंतारा वन्य प्राणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
17. वंतारा क्या है और यह किस राज्य में है?
18. भारत में कितने जीव लुप्तप्राय की श्रेणी में हैं?
19. ई-कचरा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है?
20. अभी झारखंड में कितने बाघ बचे हैं?

Reaching Out for a Brighter Tomorrow

युगांतर भारती

की तरफ से आप सभी को दशहरा, दीपावली और महापर्व छठ की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

जीरो एरर, 100% सटिस्फैक्शन हमारी पहचान है।

युगांतर भारती

भरोसा जीतने का माद्दा

युगांतर न्यूज

एक ऐसा न्यूज पोर्टल जिसमें आपको मिलेंगी

राजनीति, हेल्थ और पर्यावरण की खबरें

www.yugantarnews.in पर पढ़ें

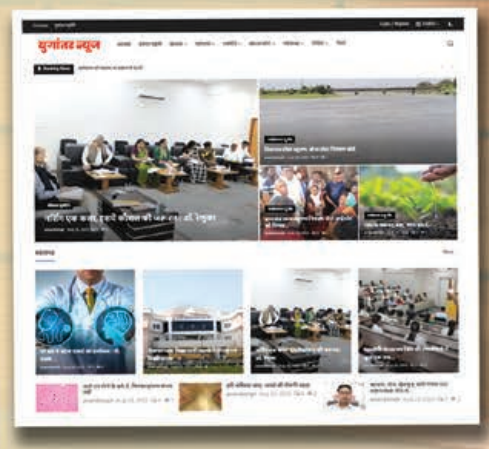

हमारा YouTube Channel देखें yugantarnews

With Best Compliments From

दामोदर बचाओ आंदोलन